

सेंट्रल मंथन

केवल आंतरिक परिचालन हेतु



खंड 8 • अंक - 1

मार्च - 2024

लाभप्रदता PROFITABILITY



विशेष आकर्षण
वसूली/RECOVERY



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



पटना में आयोजित टाउन हाल बैठक में स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए, माननीय एमडी एवं सीईओ श्री एम वी राव एवं महाप्रबंधक, श्री मुकुल दांडीगे, अंचल प्रमुख, श्री डी पी खुराना, क्षेत्रीय प्रमुख श्री आर.आर. सिन्हा. इस अवसर पर 'ग्लोरियस बिहार' नाम से बैंक के उत्पादों का बुकलेट भी जारी किया गया.



ईटीनाव संस्था द्वारा आयोजित वर्ष 2024 कार्यबल शिखर सम्मेलन, मुंबई में हमारे बैंक को मिलाओं हेतु सर्वश्रेष्ठ संगठन के रूप में सम्मानित किया गया.



प्रधान संरक्षक

श्री एम. वी. राव
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संरक्षक

श्री विवेक वाही
कार्यपालक निदेशक

श्री एम. वी. मुरली कृष्णा
कार्यपालक निदेशक

श्री महेन्द्र दोहरे
कार्यपालक निदेशक

उप संरक्षक

सु-श्री पौपी शर्मा
महाप्रबंधक (मासंवि / राजभाषा)

संपादक

श्री राजीव वार्ष्णेय
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)

सहायक संपादक

श्री संजय भद्र

सु-श्री अनिता धुर्वे

श्री सुनील कुमार साव



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तिमाही हिन्दी गृह-पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

प्रकाशन तिथि : 13 मार्च 2024

• खंड 8 • अंक - 1 • मार्च, 2024

विषय-सूची

▶ माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी.राव का संदेश	2
▶ माननीय कार्यपालक निदेशक श्री विवेक वाही का संदेश	3
▶ माननीय कार्यपालक निदेशक श्री एम.वी.मुरली कृष्णा का संदेश	4
▶ माननीय कार्यपालक निदेशक श्री महेन्द्र दोहरे का संदेश	5
▶ माननीय महाप्रबंधक (राजभाषा) सुश्री पौपी शर्मा का संदेश	6
▶ संपादकीय	7
▶ कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते	8
▶ भारत - मेरी नज़र से	10
▶ वसूली	13
▶ अदावाकृत खातों का सक्रियकरण	15
▶ डीपफेक तकनीक: प्रभाव एवं दुष्प्रभाव	18
▶ देश के सांस्कृतिक विस्तार में हिन्दी की भूमिका	22
▶ मातृभाषा का महत्व	24
▶ भारतीय बैंकिंग उद्योग का विकास	25
▶ पर्यावरण संरक्षण	28
▶ लाभप्रदता में वसूली का महत्व	31
▶ पिता जी	33
▶ वसूली	35
▶ खेल दिवस, विभिन्न क्षेत्र	38
▶ सम्मेलन की झलकियां	39
▶ राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम	41

ई-मेल/Email : centralmanthan@centralbank.co.in

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार अनिवार्यतः बैंक के नहीं हैं।

डिजाइन, संपादन तथा प्रकाशन : राजीव वार्ष्णेय, सहायक महाप्रबंधक-राजभाषा, एम.जी.रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 023 के लिए तथा उनके द्वारा उचीथ ग्राफिक प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड. आइडियल इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मथुरादास मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.



माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.वी.राव का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

सर्वप्रथम मैं वर्ष 2023-24 के दौरान आप सभी सेन्ट्रलाइटों द्वारा किए गए निष्ठापूर्वक प्रयासों की सराहना करता हूँ, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ने शानदार कामकाजी परिणाम दर्शाये हैं।

बैंक ने अब जो प्रगति की राह पकड़ी है उसे और अधिक रफ्तार देना आवश्यक है। शाखा स्तर पर ग्राहकों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार सहित उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करें। ग्राहकों के सभी प्रकार के कार्यों को शीघ्रता से निपटाएं। ग्राहकों की पूछताछ और उनके प्रश्नों के उत्तर और उनकी समस्याओं का समाधान भी तत्काल करें।

सदैव याद रखें कि

“ग्राहक की संतुष्टि ही हमारे व्यवसाय की प्रगति का आधार है।”

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपना एनपीए स्तर कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हमें अत्याधिक सफलता भी प्राप्त हुई है। किंतु अभी भी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। शाखाएं अपने ऋणियों का पूरा विवरण रखें और नियमित रूप से फॉलो - अप करते रहें। हर शाखा जीरो एनपीए ब्रांच बनने के लिए कार्य करे। हर शाखा अपने राइट ऑफ खातों में अधिक से अधिक वसूली प्राप्त करने के प्रयास करे जिससे लाभप्रदता बढ़े।

एक कॉमर्शियल बैंक के रूप में हमारा उद्देश्य समुचित लाभ अर्जित करना है। लाभ कमाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता व्यवसाय बढ़ाना है। हर ब्रांच उन्हें मिले सभी टारगेटों को प्राप्त करे। बिजनेस के नए अवसर तलाश करें, नए युवा ग्राहक जोड़ें, विशेषकर अधिक से अधिक करंट अकाउंट खुलवाएं अर्थात् अधिक से अधिक व्यापारियों को

बैंक के साथ जोड़ें। अपने क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को जोड़ें, अपने क्षेत्र के बिल्डरों, कार आदि वाहन डीलरों, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज इत्यादि से टाई - अप करें और हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन आदि बढ़ाएं। हमारी हर ब्रांच बिग प्रॉफिट सेंटर बने।

हम अपने प्रिय बैंक को अच्छे बैंक से महान बैंक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए हमें तीन पिलरों (स्तंभों) (सीआरपी) अर्थात् - ग्राहक सेवा, रक्षक एवं लाभप्रदता पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हम जानते हैं कि उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान कर व्यवसाय में वृद्धि कर सकते हैं। सेंट रक्षक का अनुपालन शाखाओं को तुरंत वाउचर अपलोड कर धोखाधड़ी से बचाने को सुनिश्चित करता है। तीसरा कारक लाभप्रदता है जो बैंकिंग कार्यनिष्पादन का संकेतक है।

प्रत्येक स्टाफ सदस्य को इस अच्छे बैंक को यथाशीघ्र एक महान बैंक में बदलने का प्रयास करना चाहिए तथा इस ऐतिहासिक परिवर्तन का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस करना चाहिए।

आगामी पर्वों की शुभकामनाओं सहित।

(एम. वी. राव)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी





माननीय कार्यपालक निदेशक श्री विवेक वाही का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

माननीय एमडी एवं सीईओ सर के कुशल नेतृत्व में बैंक द्वारा दर्शाए गए शानदार कामकाजी परिणामों के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई.

ऋण खातों की वसूली बैंकिंग व्यवसाय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है. वसूली अनियमित होने पर सीधे बैंक की लाभप्रदता दुष्प्रभावित होती है. इसीलिए ऋण खातों में नियमित वसूली होना अनिवार्य है. शाखा स्तर पर सभी कार्मिक अपनी शाखा के वसूली कार्य में परस्पर मिलजुल कर सहयोग करें. ऋण खातों की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करें, ऋणी की पूरी सूचना लगातार अपडेट करते रहें. बैंक की वसूली नीति के अनुसार पात्र ऋण खातों में छूट आदि प्रदान करके वसूली को अधिकतम किया जा सकता है. समझौता प्रस्तावों के माध्यम से भी अच्छी वसूली हो जाती है.

राइट ऑफ खातों में अधिक से अधिक वसूली करना समय की मांग है. समय - समय पर वसूली शिविर भी लगाएं इसके अतिरिक्त लोक अदालतों के माध्यम से भी वसूली करें.

जिस शाखा द्वारा जितनी अधिक वसूली की जाएगी उस शाखा की लाभप्रदता उतनी ही बढ़ती जाएगी. इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि शाखा द्वारा जितनी अधिक वसूली उस शाखा को उतना ही अधिक लाभ.

एक व्यवसायिक बैंक होने के नाते अपनी लाभप्रदता बढ़ाना

भी हमारा उद्देश्य होता है. शाखा स्तर पर लाभ बढ़ाने के लिए व्यवसाय तो बढ़ाना आवश्यक होता ही है, इसके साथ-साथ ऋण खातों का स्लीपेज भी रोकना होगा और एनपीए खातों को नियमित रूप से स्टैंडर्ड खातों के रूप में अपग्रेड करना होगा. यह भी ध्यान दें कि शाखा स्तर पर अनावश्यक खर्च रोकने आवश्यक होते हैं तथा आय के साधन बढ़ाने होते हैं.

प्रत्येक सेन्ट्रलाइट को यह समझना चाहिए कि बैंक की प्रगति में ही उनकी प्रगति है. बैंक की प्रगति के लिए व्यवसाय बढ़ाना आवश्यक है तथा व्यवसाय बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा प्रदान करना आवश्यक है. इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक कर्मचारी बैंक के ग्राहकों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करे और साथ ही उनका काम शीघ्रतापूर्वक करे.

आगामी पर्वों की हार्दिक शुभकामनाओं सहित

(विवेक वाही)
कार्यपालक निदेशक





माननीय कार्यपालक निदेशक श्री एम.वी.मुरली कृष्णा का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो

इस संदेश के माध्यम से मैं सर्वप्रथम अपने सम्माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम वी राव जी को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के शानदार कार्य परिणामों हेतु बधाई देता हूँ. मैं सभी सेन्ट्रलाइट साथियों को भी बैंक द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट कार्य परिणामों के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ.

हर व्यवसाय की भांति बैंकिंग व्यवसाय में भी लाभप्रदता अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है. लाभ कमाने के लिए बैंकर को अत्यंत विवेकपूर्ण कार्य करने होते हैं. अपनी जमाओं में कासा का प्रतिशत अधिक से अधिक होने से जमा लागत कम होगी, जिससे लाभप्रदता बढ़ेगी. इसी प्रकार, हमें रैम (आरएएम) अर्थात रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई के अंतर्गत अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारी लाभप्रदता बढ़ेगी.

शाखाएं अपने रिक्त लॉकरों को किराए पर उठाने का प्रयास करें ताकि बैंक के सभी संसाधनों का अधिकतम प्रयोग किया जा सके. ओवरड्यू किराए वाले लॉकरधारकों से भी फॉलो-अप करके किराया वसूली की कार्रवाई की जाए.

शाखाएं अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करके भी लाभप्रदता में योगदान कर सकती हैं.

लाभप्रदता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष व्यवसाय को बढ़ाना है. प्रत्येक सेन्ट्रलाइट यह प्रयास करे कि बैंक का व्यवसाय अधिक

से अधिक हो. जमाओं को बढ़ाने का प्रयास करें. जमा और ऋण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को अधिक से अधिक मार्जिन से प्राप्त करें. आप जानते ही हैं कि जितना अधिक व्यवसाय होगा उतना ही अधिक लाभ बढ़ने की संभावना होगी.

हमारा बैंक ईओएफओई 4.0 नामक अभियान चला रहा है जिसका उद्देश्य यह है कि हमारे सभी कर्मचारी व्यवसाय वृद्धि में अपना अधिक से अधिक योगदान दें. सभी शाखाओं को अपना वेतन स्वयं अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए. उन्हें यह प्रयास करना चाहिए कि उनकी निवल आय वृद्धि उनके मासिक वेतन से अधिक होनी चाहिए.

हमारे अच्छे बैंक को एक महान बैंक में बदलने की प्रक्रिया में सभी सेन्ट्रलाइट्स को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित.

(एम वी मुरली कृष्णा)
कार्यपालक निदेशक





माननीय कार्यपालक निदेशक श्री महेन्द्र दोहरे का संदेश

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

सर्वप्रथम मैं शानदार वित्तीय परिणामों के लिए हमारे आदरणीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हार्दिक बधाई देता हूं. जिनके मार्गदर्शन तथा सभी सेन्ट्रलाइट्स की मेहनत का ही फल है कि बैंक ने शानदार प्रदर्शन दर्शाया है.

सेन्ट्रल बैंक एक नये इतिहास के निर्माण की ओर अग्रसर है, जहां हम बैंकिंग में नए - नए परिवर्तनों के साथ - साथ पर्यावरण के प्रति भी कार्यरत हैं. हमारे बैंक का नेट जीरो का संकल्प न केवल हमें बैंकिंग इंडस्ट्री में अग्रणी बनाएगा, बल्कि हमारी पर्यावरण सुधार की प्राथमिकता हमारे आगामी जेन - जी ग्राहकों को भी लुभाएगी.

हमारे बैंक की हरित जमा योजना के द्वारा कई हरित गतिविधियों का वित्तपोषण भी किया जा रहा है जो न केवल देश के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं, अपितु हमारे पर्यावरण सुधार के प्रयासों को भी सार्थकता दे रहा है.

इसी संदर्भ में नए ऋणों की स्वीकृति करते समय उनकी व्यवहार्यता का अवश्य ध्यान रखें, ताकि जिस क्षेत्र में ऋण स्वीकृत किया जा रहा है. उससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों. देश के बहुत से नवयुवक नये रोजगारों का सृजन कर रहे हैं. इन नवोन्मेषी कार्यों के लिए आर्थिक रूप से सहायता देकर हम देश की अर्थव्यवस्था की लाभप्रदता

के साथ साथ अपने बैंक की लाभप्रदता बढ़ा रहे हैं.

ऋण वसूली में अधिक समस्या न आए इसीलिए ऋण स्वीकृति से पूर्व आस्ति की गुणवत्ता की जांच ठीक से करें. ताकि लोन रिकवर, रिस्ट्रक्चर या वसूली करने में अधिक समस्या का सामना न करना पड़े.

अब हम नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हमें उसी गर्मजोशी के साथ हमारे सभी ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के प्रति कार्यरत रहना होगा, जो हमारी विशेषता है.

यह शानदार वित्तीय परिणाम आप सभी के सफल प्रयासों का ही नतीजा है. मैं हमारे सभी सेन्ट्रलाइट साथियों को पुनः शानदार वित्तीय परिणामों की हार्दिक बधाई देता हूं.

आगामी पर्वों की शुभकामनाओं सहित.

(महेन्द्र दोहरे)

कार्यपालक निदेशक





संपादकीय

प्रिय सेन्ट्रलाइट साथियो,

सर्वप्रथम नए वित्त वर्ष 2024 - 25 तथा अन्य आगामी पर्वों हेतु अनेकानेक शुभकामनाएं. साथ ही हमारे बैंक द्वारा दर्शाए गए उत्कृष्ट कार्य परिणामों के लिए हार्दिक बधाई.

लाभप्रदता के हम सभी के जीवन में कई मायने हैं. ऐसा हमारे वेद - पुराणों में कहा गया है :

“प्रथम सुख निरोगी काया”

हम सभी जीवन की भाग - दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि हमें अपना ध्यान रखने के लिए समय ही नहीं है. हमारा बैंक लगातार हमारे सभी स्टाफ सदस्यों के स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रख रहा है. फिर चाहे वह हैबिल्ड के द्वारा योग से हो या सेन्ट चेतना एवं सेन्ट आरोग्य हो. हमारा बैंक हमारे सभी स्टाफ सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रख रहा है, क्योंकि एक स्वस्थ कर्मचारी ही अपना कार्य पूर्ण समर्पण के साथ कर सकता है.


एक स्वस्थ अधिकारी बैंक के लिए उपयोगी आस्ति है तथा एक अस्वस्थ अधिकारी बैंक के लिए कष्टदायक है. क्योंकि यह सीधे - सीधे बैंक की लाभप्रदता पर असर डालता है. अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. आप स्वस्थ

होंगे तभी आप अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान कर सकेंगे. अपने ग्राहकों की समस्याओं को सुनना, उनका त्वरित समाधान करना ही उच्च ग्राहक सेवा के मानदंड स्थापित करता है. यही हमारी बैंक की प्रगति के पथ में लाभप्रदता के रूप में फलीभूत होंगे.

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

(राजीव वार्ष्णेय)

सहायक महाप्रबंधक - राजभाषा



कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते

“कर्तव्येन कर्ताभि रक्षयते” यानि कर्तव्य करने से कर्ता यानि कार्य करने वाले की रक्षा होती है। ठीक इसी प्रकार “धर्मो रक्षति रक्षितः” यह वाक्यांश मनुस्मृति के एक पूर्ण श्लोक का भाग है;

“धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥”

धर्मो रक्षति रक्षितः एक लोकप्रिय संस्कृत वाक्यांश है जो महाभारत और मनुस्मृति में मिलता है। इसका अर्थ है कि “धर्म की रक्षा करने पर (रक्षा करने वाले की धर्म) रक्षा करता है।” दूसरे शब्दों में, “रक्षित धर्म, रक्षक की रक्षा करता है”।

कर्म का अर्थ है, हमारे द्वारा किये गये प्रयास व हमारी उस कार्य के लिए की गई कड़ी मेहनत और धर्म का मतलब है कार्य श्रद्धा के साथ पूर्ण करना। भगवान ने हर इंसान को दो हाथ, एक मुंह और दो पैर के साथ धरती पर भेजा है। जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, तो उसे जीवन में सफलता मिलती है। जब वह आधे मन से कार्य करता है, तो वह असफल हो जाता है। कार्य में थोड़ी सी श्रद्धा भी डाल दी जाए तो वह कर्म पूजा बन जाती है। किसी भी कार्य को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, उसका आनंद लिया जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाए, यदि वहीं कर्म हम पर बोझ बन जाता है तो हमारी पूजा यानि कि हमारा कर्म उसकी पवित्रता को खो देता है जिससे उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाती है।

‘ध्यान पूजा को किनारे रख दे,

उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे’

हमें अपने कर्मों की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। कर्म मनुष्य का सबसे महंगा गहना होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन्हें चमका कर रखे और इन्हें नेकी के लिए प्रयोग करे। मनुष्य भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। कर्म करने से ही मनुष्य की गति होती है। मनुष्य का फर्ज है कर्म करना और उसके कर्मों का फल ही उसे अच्छे या बुरे परिणाम के रूप में मिलता है। यह हमारा काम है जो हमें नया चेहरा देता है और जीवन में अर्थ जोड़ता है।

कार्यालय, कारखानों या अन्य क्षेत्रों में किए गए कार्य मंदिर, चर्च या मस्जिद में की गई पूजा से अधिक मूल्यवान हैं। काम से हमें जो खुशी और संतुष्टि मिलती है, यदि व्यक्ति की खुद की मेहनत पर विश्वास है, तो वह जीवन दुखमय होने पर भी आशा नहीं खो सकता। काम हमें जीवन का असली आनंद देगा। कर्म सिद्धांत निश्चित रूप से विश्व अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को सकारात्मक रूप

से बदल देगा और लोगों को जीवन में कठिन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा।

“प्रत्येक कार्य नित्य प्रति के जीवन हेतु उपयोगी और ज्ञान प्रदान करता है।”

हम देखते हैं बहुत लोगो को कुछ काम करने से शर्म आती है, कुछ लोग काम करने से पहले ही डर जाते हैं, कुछ लोग तो कोई काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। हमें कोई भी काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करना चाहिए। शिद्दत, साफ मन और लगन से पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं, तो किसी भी काम को करने से हमें सफलता जरूर मिलेगी। धीरू भाई अम्बानी को नौकरी की तलाश थी, कुछ दिन तलाश करने के बाद उन्हें एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरने की नौकरी मिली। उन्होंने उस काम को छोटा काम नहीं समझा कई साल उन्होंने उस काम को किया और जब उन्हें पेट्रोल के व्यापार के बारे में जानकारी मिल गयी तो उन्होंने अपना पेट्रोल पंप खोला और उसमें उन्हें सफलता मिली। और आज तक वो सफल व्यक्ति के रूप में याद किये जाते हैं।

यदि हम इतिहास की ओर देखें, तो हमने पाया कि सभी महान लोग जिन्होंने अपने काम में उच्च स्तर के जुनून और प्रतिबद्धता के साथ चीजों को अलग तरह से किया। काम जीवन का सच्चा सार है जो महान विचारों को दिमाग में लाता है और लोगों को महान व्यक्ति बनाता है। श्री मद्भगवद्गीता में भगवान् श्री कृष्ण कर्म की बात अर्जुन को समझा रहे हैं;

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते..

कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत्प्राप्ति रूपी शान्ति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है।

अनासक्त होओ; कार्य होते रहने दो का अर्थ है; “मस्तिष्क के केन्द्र अपना अपना कार्य करते रहें, निरन्तर कार्य करते रहें, परन्तु एक लहर को भी अपने मन पर प्रभाव मत डालने दो। संसार में इस प्रकार कर्म करो, मानो तुम एक विदेशी पथिक हो, दो दिन के लिए यहाँ आये हो। कर्म तो निरन्तर करते रहो, परन्तु अपने को बन्धन में मत डालो; बन्धन बड़ा भयानक है। संसार हमारी निवासभूमि नहीं है; यह तो उन सोपानों में से एक है, जिनमें से होकर हम जा रहे हैं।”



बिना किसी निजी स्वार्थ के लोकोपकार के लिए अपना कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना ही कर्म योग है। आदर्श पुरुष तो वे हैं, जो परम शान्ति एवं निस्तब्धता के बीच भी तीव्र कर्म का, तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शान्ति एवं निस्तब्धता का अनुभव करते हैं। उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है। अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच से जाने पर भी उनका मन उसी प्रकार शान्त रहता है, मानो वे किसी निःशब्द गुफा में हों, और फिर भी उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥

अर्थात् कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए फल की दृष्टि से कर्म मत कर और न ही ऐसा सोच की फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूँ।

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी ऐसा ही कहा है।

कर्म प्रधान विश्व करि राखा.

जो जस करहिं सो तस फल चाखा..

जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम अपने सामने रखे भोजन को भी नहीं खा सकते हैं इसलिये जीवन कर्म के बिना अधूरा है। यह जीवन केवल तभी उपयोगी होता है जब तक हम सभी कार्य करते हैं। कार्य करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। आलस्य और सुस्तता जीवन के लिये अभिशाप के समान है। कर्म के बिना जीवन का कोई व्यक्तित्व नहीं है।

जब हम किसी व्यक्ति, देश या समुदाय की प्रगति पर विचार करते हैं, तो यह संबंधित लोगों द्वारा किये गये कार्यों के साथ स्पष्ट रूप से मापा जा सकता है। 1947 में, विभाजन के बाद भारत में पंजाब के निवासियों को पंजाब में अपने घरों से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया था और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था और वे भारत के अन्य हिस्सों में भाग गये थे। आज हम सभी उन्हें भारत में सबसे सफल व्यवसायियों के रूप में देखते हैं। यह सब उनकी कड़ी मेहनत के कारण ही हुआ है तथा हम कह सकते हैं।

सन 1945 में, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और ज़मीन में समा गये थे, लेकिन आज वही पूरी तरीके से नष्ट जापान दुनिया का सबसे विकसित तकनीकी देश बन गया है। आज वो छोटा सा देश जहाँ हर दिन ज्वालामुखी के ज्वार निकलते हैं अपने इतिहास के काले अध्याय को भुलाकर किस तरह केवल कर्म के दम पर आज वह विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रों में गिना जाता है। जापानियों ने अपनी तबाही को भाग्य का लिखा मानने की बजाय, फिर से उठ खड़े हुए और कर्म

के महत्व को अपने जीवन के सिद्ध कर दिखाया कि कुछ ही असम्भव नहीं होता है यदि मानव कुछ करने की ठान ले तो एक दिन वह सब कुछ पा सकता है।

“किसी महान कार्य का संधान व्यक्ति को महान बना देता है।”

अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझते हैं, परंतु यहाँ भगवान् अर्जुन को मानो यह समझाते हैं कि भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भिक्षुक के लिये स्वधर्म होते हुए भी तुम्हारे लिये परधर्म है; क्योंकि तुम गृहस्थ क्षत्रिय हो, भिक्षुक नहीं। श्रीकृष्ण ने कहा कि धर्ममय युद्ध न करने से तुम स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे, स्वभावनिमित्त स्वधर्मरूप कर्तव्य को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता।

परिश्रम ही सफलता की स्वर्ण कुंजी है। आज हम जिन्हें जीवन में सफल अथवा आदर्श पुरुष मानते हैं, उनका जीवन भी परिश्रम की आग भट्टी में तपने के बाद सोने की भांति चमकदार बनाया कल्प एवं विचारों की निश्चितता के साथ तमाम बाधाओं को परास्त कर सफलता के स्वर्णिम द्वार को खोलने में कामयाब हो जाता है।

हम जो कुछ प्राप्त करते हैं अथवा पाने की कामना करते हैं, उनका आधार कार्य ही होता है। जीवन का दूसरा नाम ही कर्मशीलता है। निष्कर्मन्यता को जीवन का सर्वाधिक न्यून स्तर माना गया है। कार्य के बिना जीवन का कोई सार नहीं है। निरंतर कार्य में लगा रहना ही सच्ची सफलता का सूत्र है। कार्य रुपी वृक्ष पर सही समय पर कामयाबी के पुष्प पल्लवित होते हैं, जीवन में कार्य ही सच्ची पूजा एवं साधना है।

ओक का पेड़ वर्षों तक रहता है (लगभग तीन सौ) लेकिन जब यह नीचे गिरता है, तो इसकी लकड़ी गंजा होती है और हमारे लिए बेकार होती है। दूसरी ओर, लिली के फूल केवल एक दिन के लिए रहते हैं लेकिन यह हमारे चारों ओर एक यादगार खुशबू देता है जो हमारे भीतर खुशी और आनंद पैदा करता है।

अन्नदाता कृषक निरंतर अपने कर्म में रत रहकर वह सभी का भरण पोषण करता है। मजदूर अपने निरंतर कार्यों से उद्योगों को संचालित करते हैं। ड्राईवर कर्तव्यों का निर्वहन कर राष्ट्र को गतिशील बनाते हैं, माल व लोगों को अपने गन्तव्य तक पहुंचाते हैं। चिकित्सालय के डॉक्टर और नर्स का कार्य रोगियों को व्याधि मुक्त कर नया जीवन प्रदान करता है। एक छात्र निरंतर कार्य एवं अभ्यास के बल पर उच्च योग्यता का अर्जन करते हैं। विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र के लोग निरंतर नये नये अनुसंधानों में लगे रहकर मानव कल्याण के लिए नये साधनों को इजाद करते हैं। ईश्वर की इस प्रकृति की गतिशीलता का सिद्धांत कार्य पर टिका है। मानव ने

लगातार कर्मशील बनकर चन्द्रमा तक अपनी पहुँच को बनाया हैं। अकर्मण्य व्यक्ति को पृथ्वी पर बोझ माना गया हैं, भले ही वह कितना भी आकर्षक और अच्छे संदेश प्रसारित करने वाला हो। परिवार, समाज तथा राष्ट्र की उन्नति में उसका कोई योगदान नहीं होता हैं। अक्सर देखा गया हैं, अपने कर्तव्यों से जी चुराने वाले, बहाने बनाने वाले लोग आगे जाकर अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं, जो किसी भी समाज के दुश्मन तुल्य होते हैं।

जो आदमी कड़ी मेहनत करता है वह धरती पर खुशियाँ लाता है। हमने इंसान ने अपना खाना पकाने के लिए आग की खोज की। उसने ठंड से खुद को बचाने के लिये कपड़े की खोज की जिससे उसका तन ढक सके। पहले उसके पास कोई आश्रय नहीं था, उसने झोपड़ियाँ और घरों का निर्माण किया। इंसान ने चीजों का तेजी से उत्पादन करने के लिए मशीनों का आविष्कार किया। मनुष्य लगातार एक के बाद एक आविष्कार कर रहा है। सभी कठिनाइयों के बावजूद भी कोलंबस ने तो अमेरिका की खोज कर डाली। मार्कोनी ने अपने पूरे जीवनकाल को समर्पित करने के बाद रेडियो का आविष्कार किया। परिश्रम अथवा कार्य ही सफलता के

मूल तंत्र हैं।

निरंतर अपने कार्य में लगने वाले के पास सफलता तो उलटे पाँव भागी आती हैं। व्यक्ति यदि अपने कार्यों को शुद्ध अंतःकरण से करना शुरू कर दे तो उनकी विफलताएं भी कामयाबी बनकर आती हैं। हमने ऐसे हजारों लोगों के उदाहरण पढ़े व सुने हैं जो सामान्य से विशेष केवल अपने कर्मों के दम पर ही बने हैं। गांधी, लिंकन, लेनिन, न्यूटन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें निरंतर कर्म में लगे रहने की प्रेरणा देते हैं।

‘नजरे जो बदली तो नजारे बदल गए,
किस्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए ।
तो क्यों न हम भी अपना नजरिया काम के प्रति बदले ।

डिंपल माहेश्वरी
विरिष्ठ प्रबंधक
मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय



वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बनो बाराती

वोट डालने चलो रे साथी,
लोकतंत्र के बनो बाराती
एक वोट से करो बदलाव
नेता जी के बदलो हाव-भाव
सही उम्मीदवार का करो चुनाव,
बेईमानो को मत दो भाव
आपका वोट है आपकी ताकत
लोकतंत्र की है ये लागत
सुबह सबेरे वोट दे आओ
वोटर आईडी संग ले जाओ
उस इंसान का करो चुनाव,

जो पार लगाये देश की नांव
मतदान के दिन घर में मत रहना
वरना पांच साल पड़ेगा सहना
भैया-दीदी चाचा-चाची
वोट दे के आ जाओ जी
सब के सब चलो रे साथी
वोट दे कर बनें लोकतंत्र के साथी
लोकतंत्र का आनंद उठाते हो
फिर वोट क्यों नहीं देने जाते हो?
आपके वोट से आएगा बदलाव
समाज सुधरेगा, कम होगा तनाव।

अजय सिंह,
शाखा प्रबंधक, सैक्टर-15 चंडीगढ़





भारत - मेरी नज़र से

भारत सिर्फ एक शब्द नहीं है यह हर भारतीय के दिल की आवाज है. भारत एक देश है जहाँ पर हम सभी इसकी छत्रछाया में रहते हैं. भारत को हर भारतीय अपनी माँ मानता है. जिस भूमि के अन्न-जल से मनुष्य का शरीर बनता है, विकसित होता है, राष्ट्र के लिए उसका अनायास प्रेम और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और लगाव उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है.

सभी प्राणी अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं और जिससे प्यार किया जाता है उसकी हर चीज में सौंदर्य दिखाई देता है. उसकी हर वस्तु प्रिय लगने लगती है. हमें भी अपने भारत से बहुत प्यार है और यहाँ की हर चीज में सुंदरता दिखाई देती है. हमारा भारत इतना पवित्र और गरिमामय है कि भगवान भी यहाँ पर जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं. यह देश भगवान राम और कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है. शोधानुसार सप्तचरुतीर्थ के पास वितस्ता नदी की शाखा देविका नदी के तट पर मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई. जाने ही कितने ऋषि मुनि विद्वानों को इस धरती ने जन्म दिया है.

हमारे देश भारत का नाम सूर्यवंशी राजा भरत के नाम पर पड़ा था. प्राचीनकाल में भारत का नाम आर्यावर्त और जगतगुरु था. कुछ विद्वानों का मानना है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा था. भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है. अंग्रेजी में भारत को इंडिया कहा जाता है.

मेरा भारत सब देशों में शिरोमणि है. हमारा भारत उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है. भारत की देह को प्रकृति ने एक दैवी का नाम दिया है. बर्फ से ढका हुआ हिमालय हमारे भारत के सिर पर मुकुट के बराबर है. दक्षिण दिशा में इसके कदम हैं जिन्हें हिन्द महासागर हमेशा धोता रहता है. इसकी बाहें दूर-दूर तक फैली हुई हैं. भारत वह देश है जहाँ पर सिंधु घाटी की नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था. भारत वह भूमि है जहाँ पर हिंदू संस्कृति फली-फूली और वेदों की रचनाएँ की गयीं हैं. इसी भूमि पर धर्म ने अपनी उंचाईयों को छुआ था.

ज्ञान का भंडार होने के कारण इसे जगद्गुरु और धन सम्पदा से संपन्न होने के कारण इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था. भारत देश धन और सौंदर्य से विभूषित हुआ करता था. भारत ने ही ज्ञान की किरण पूरे संसार में फैलाई थी. ज्ञान के क्षेत्र में पूरा विश्व भारत का ऋणी है. इसी पर तो विज्ञान का ढांचा टिका हुआ है. संसार के प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की रचना भारत देश में ही हुई थी. भारत ने सारी दुनिया को योग, तप, दर्शन, ध्यान, और मोक्ष

का मार्ग दिखाया. इस देश की रचित पुस्तकें ज्ञान का अतुलनीय भंडार अपने अंदर समेटे हुए हैं. कलारपिटू, भाषा लेखन, नाट्य गीत, संगीत नौटंकी, स्थापत्य कला, चित्रकला, सुगन्धित इत्र तेल निर्माण, सुई का काम, बढई की कारीगरी, सोना-चांदी-हीरूपन्ना आदि रत्नों की परख आदि कलाओं का उद्भव भारत देश में ही हुआ. शतरंज, कबड्डी, सांप-सीढ़ी, गिल्ली डंडा, मल्लयुद्ध इस प्रकार के न जाने कितने ही खेलों का अविष्कार भारत देश में हुआ है. पहिया, बटन, रूलर स्केल, शैम्पू, विमान, नौका, जहाज, व्याकरण, शून्य, दशमलव, हीरे का खनन, खेती, रेडियो, बाइनरी कोड, स्याही, प्लास्टिक सर्जरी, अशत्रु-शस्त्र के रूप में भारत देश ने समूचे संसार को धन्य बनाया है.

भारत पर मुगलों और अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित किया था और इसे लूटा था. हमारे देश ने हजारों वर्षों तक गुलामी की. भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया था जिन्होंने देश को सत्य और अहिंसा से परिचित कराया था. लेकिन हमारे वीर योद्धा और क्रांतिकारियों ने मिलकर भारत को 15 अगस्त, 1947 को आजाद करा लिया था जिसकी वजह से आज के समय में हमारा देश उन्नत और शक्तिशाली बनता जा रहा है. आज हमारे देश में को नरेंद्र दामोदरदास मोदी जी जैसा महान नेता मिला है जिनके मार्गदर्शन में आज भारत विश्व के प्रगतिशील देशों से आँख से आँख मिला कर बात करता है. उन्हें उनकी गलतियों पर गलत बोलने का माहुर रखता है. रूस और यूक्रेन के युद्ध की परिस्थिति में भी रूस से अपनी दोस्ती निभा रहा है और अमेरिका को कोरोना से लड़ने में सहायता दे रहा है. भारत एक तरफ तो गलवान घाटी और कश्मीर में घुसपैठियों की खदेड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसियों को सहायता भी दे रहा है.

भारत विविधताओं का देश : हमारा भारत विविधताओं का देश है. भारत में विभिन्नता में एकता दिखाई देती है. भारत में अनेक राज्य हैं और हर राज्यों से अलग-अलग संस्कृतियाँ जुड़ी हुई हैं. हमारे देश में पहाड़ियाँ हैं तो समुद्र भी हैं, हरियाली है तो रेगिस्तान भी हैं. हमारे भारत में गर्मी, सर्दी, बसंत, पतझड़ सभी ऋतुएं आती हैं.

यहाँ पर हर धर्म के लोग मिलजुलकर रहते हैं. हमारे भारत में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर भी बने हुए हैं. हमारे भारत में अनेक भाषाएँ बोलने वाले लोग रहते हैं. यहाँ पर खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा, धर्म और विचारों में विविधता है. हमारे भारत के लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना में विश्वास रखते हैं.

भारत की यह विविधता ही हमारे देश की शान और उन्नति का कारण है। भारत में तरह-तरह के त्यौहार मनाये जाते हैं। यहां पर सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं। सभी धर्मों को समान नजरों से देखा जाता है। यहाँ पर धर्मों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है।

इस देश के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आर्किटेक्स, बिज़नेस मैन संसार के हर कोने में देश की शान बढ़ा रहे हैं। और हीरों की खाने, कोयले के भंडार, लोहा और युरेनियम धातुओं की गुफा हमारे भारत की मिटटी के नीचे छिपी हुई हैं। हमारे भारत देश से ही बहुत से देश कपड़ा, कल-पुर्जों का आयात करते हैं। हमारा भारत एशिया महाद्वीप में तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। भारत विश्व की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है।

आज भारत की विकास दर तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश की सेनाएँ देश की रक्षा करने में संलग्न है। स्वतंत्रता मिलने के बाद हिंदी को देश की राज भाषा बनाया गया है। आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था और हमारा देश गणतंत्र हुआ था।

भारत का स्वरूप जितना विशाल और भव्य है उसका मन उतना ही उन्नत और उदार है। भारत में कश्मीर स्वर्ग की तरह सुंदर लगता है और केरल की हरियाली मन को आनंद देती है और मन मोह लेती है। भारत में ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जिससे प्रकृति की सुंदरता में चार-चाँद लग जाते हैं। उनकी सुंदरता से प्रकृति बहुत ही सुंदर लगती है। यहाँ पर सही ऋतुएँ समय पर आती हैं और धरती को अपनी अनूठी छटाओं से सजाती हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी और पशु भारत को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। जब पक्षियों की आवाजें सुबह-सुबह सुनाई देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति गा रही हो।

मिट्टी से बहुत ही अच्छी सुगंध आती है जो मन को मोह लेती है। भारत के अनेक प्रकार के फूलों से प्रकृति सुगंधित हो उठती है। भारत की जलवायु उष्ण है इसी वजह से प्रकृति में नमी छाई रहती है। प्राचीन समय में सब कुछ संतुलित था और लोग खुश थे। कृषि

के क्षेत्र में प्रगति हो रही है।

भारत एक देश ही नहीं अपितु एक अलग संसार है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अतुलनीय है। यहाँ की स्त्रियों और नदियों को देवी स्वरूप पूजा जाता है। यहाँ की धरती-पर्वत को देवताओं का वास माना जाता है। हम आज भी चाँद को मामा और सूरज को देवता का दर्जा देते हैं। हमारे देश में जहा एक तरफ शेर का शिकार करने का शौर्य है वहीं दूसरी तरफ गाय को माता का दर्जा देने की प्रथा। इस देश की सन्तानों ने संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से ज्योतिर्मय बना दिए हैं। इस देश ने संसार को कृषि करना सिखाया। इस देश ने लोगो को अंतरिक्ष दिखाया। इस देश ने संसार को शल्य चिकित्सा से अवगत कराया। इस देश ने संसार को शून्य से मिलाया। यहाँ के ग्रन्थ, वेद, पुराण आज भी समस्त संसार का पथ प्रदर्शन करते हैं। दुनिया के अजूबों में सबसे पहला ताजमहल, आगरा का एक मशहूर पर्यटन स्थल है। इस देश की न जाने कितनी इमारते विश्व की धरोहर में गिनी जाती हैं। यहाँ की स्थापत्य कला, चित्र कला, पाकशास्त्र, आज भी संसार के लिए कौतुहल का विषय हैं। कई वर्षों तक गुलामी की जंजीरो में बंधे रहने क बाद भी आज ये देश संसार को महान देशों में से एक है। गूगल के सुन्दर पिचर्ड हो या पेप्सिको की इंदिरा नूई, अमेरिका की कमला हैरिस हो या ब्रिटेन के ऋषि सूनक, कल्पना चावला हो या सुनीता विलियम्स, सचिन तेंदुलकर हो या नीरज चोपड़ा, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हो या नम्बि नारायणन ऐसी न जाने कितनी महान भारतीय हस्तियां विश्व मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ रही हैं। इस देश की विविधता में एकता, धर्मनिरपेक्षता, समस्त विश्व के लिए एक दृष्टान्त है। अपने इन्ही गुणों के कारण भारत आज मुझे ही नहीं अपितु हर भारतीय को अपनी जान से प्यारा है।



ज्ञानेन्द्र सोनकर
वरिष्ठ प्रबन्धक
मुद्रा पेटिका, हुबली



माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 08.01.2024 को राजकोट क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण।



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

वसूली



उमेश कुमार
मुख्य प्रबंधक

आरपीसी विभाग, उत्तर मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय

भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा इस लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बैंक है। बैंकिंग एक सेवा उद्योग है जहाँ ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। बैंक द्वारा जनता की धनराशि को जमा करने तथा जनता को ऋण प्रदान करने का कार्य किया जाता है। बैंक का कार्य मात्र जमा संग्रहण ही नहीं बल्कि ऐसी सेवाएं प्रदान करना भी है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहे।

बैंक जनता का पैसा जमा करती है तथा उसी जमा में से उपभोक्ताओं को ऋण के तौर पर प्रदान करती है। लेकिन कभी कभी उपभोक्ता ऋण चुका नहीं पाते। बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण देता है वह उसे अपने खाते में संपत्ति के रूप में दर्ज करता है, परंतु यदि किसी कारणवश बैंक को यह आशंका होती है कि ग्राहक यह ऋण नहीं लौटा पायेगा, तो ऐसी संपत्ति को ही गैर-निष्पादनकारी संपत्तियाँ कहा जाता है। जब बैंक अपने ग्राहकों से कर्ज वसूली नहीं कर पाते तो वह राशि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानि एनपीए में चली जाती है। आज बैंकों में जिस तरह से एनपीए यानि गैर निष्पादक आस्तियाँ तेजी से बढ़ रही है, बैंकिंग जगत के लिए यह चिंता का विषय है।

वसूली शब्द सुनने में छोटा लगता है लेकिन बैंकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका अहम योगदान है। पिछले कुछ दशकों में बैंक के वित्तीय सुदृढता में काफी गिरावट आई है और इसका मुख्य कारण है बैंकों में बढ़ते एनपीए और गैर-निष्पादित आस्तियाँ। बैंकों को वसूली द्वारा इस गैर निष्पादित आस्तियों को कम करना है ताकि बैंकों का अस्तित्व कायम रहे।

एनपीए गैर निष्पादित आस्तियाँ और उनकी वसूली का समाधान उचित ऋण मूल्यांकन और वसूली प्रबंध तंत्र में ही निहित है। एनपीए की वसूली बैंकिंग उद्योग को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनपीए न सिर्फ जनता के रुपये को अवरुद्ध करता है बल्कि अर्थव्यवस्था में भी असर करता है। इस एनपीए में फंसी राशि को वापस अर्थव्यवस्था में लाने के लिए बैंक जोरदार प्रयास कर रहे हैं।

गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसे ऋण से है, जिसका लौटना संदिग्ध है। यह गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ किसी भी

अर्थव्यवस्था के लिए बोझ होती है। ये देश कि बैंकिंग अर्थव्यवस्था को रुग्ण बनाती है। इसलिए पिछले कई वर्षों से बैंकों में बैड लोन तथा बैड एसेट में काफी वृद्धि हुई है। गैर निष्पादक आस्तियाँ इसी बैड लोन और बैड एसेट से ही मिलकर बनती है। गैर निष्पादन आस्तियों से बैंक के लाभांश में कमी आती है, उससे बैंकों के लिए ऋण देना मुश्किल हो जाता है। फलस्वरूप निवेश में कमी आ जाती है और निवेश में कमी आने से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर प्रभाव देखने को मिलता है।



कभी कभी बैंक को एनपीए के प्रबंधन में भी दिक्कत आती है। ग्राहक की परिसंपत्तियों की जब्ती के माध्यम से बैंक को स्वयं का ऋण चुकता करना फायदेमंद नहीं होता। क्योंकि बैंक को ग्राहक की परिसंपत्तियों को कभी कभी कम दाम पर बेचना पड़ता है, जो ग्राहक को दिए गए ऋण की तुलना में बहुत ही कम होता है। कभी कभी तो ग्राहक की परिसंपत्तियों को डिस्काउंट दर पर भी बेचना पड़ता है जिसका सीधे असर बैंकों के लाभांश पर जाता है।

हमें अपने बैंक से ऋण वितरण करने से पहले बहुत सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ऋण देना बहुत आसान है लेकिन उस ऋण का भुगतान होना उतना ही कठिन है। हमारे बैंक में ग्राहकों को ऋण हेतु कई योजनाएँ हैं, जैसे - आवास ऋण, वाहन ऋण, कृषि ऋण, एज्युकेशन ऋण, विद्यार्थी ऋण, सेंट मॉर्गेज, वरिष्ठ नागरिकों को ऋण, सेंट वैयक्तिक ऋण, सेंट स्किल ऋण इत्यादि। ऋण देते समय उधारकर्ता की पहचान से लेकर उसकी सम्पत्तियों का विवरण, उसके आय का विवरण तथा स्रोत आदि की जांच करना जरूरी है। उधारकर्ता का खाता एनपीए में परिवर्तित होने के पूर्व विभिन्न एसएमए के पैरामीटर (0 से 2 तक) में रखा जाता है। जब उधारकर्ता

का खाता एसएमए 0 में रहता है तब से ही सही तौर पर प्रबंधन कर हमें वसूली कर लेना चाहिए, ताकि खाता एनपीए में कभी परिवर्तित नहीं हो. अगर तब भी खाता एनपीए हो गया है तो वसूली की प्रक्रिया समय से करनी चाहिए. उधारकर्ता के ऋण दस्तावेजों की भी समय सीमा होती है. इस समय सीमा के अंतर्गत वसूली आरंभ नहीं की गई तो वसूली प्रभावित हो सकती है. इस वसूली हेतु बैंक ने भी विशेष तौर पर "मिशन रिकवरी" का अभियान चलाया था. इस अभियान के तहत शाखाओं के उन उधारकर्ताओं की सूची बनाई गई जो रिकवरी के दायरे में आते थे. इस मिशन के तहत शाखाओं के स्टाफ सदस्यों के साथ मिलकर वसूली करने के लिए रणनीति तैयार करने हेतु कहा गया. पहले उधारकर्ता को पत्र भेजा गया फिर उसके ऋण दस्तावेजों को देखा गया जिसमें उसने फोन नंबर तथा पता एवं गारंटी देने वाले की जानकारी है. फिर दिए गए पते पर व्यक्तिगत रूप से जाकर उधारकर्ता से मिलना तथा फोन करना आदि उस मिशन में शामिल था. इस अभियान के तहत अच्छे परिणाम आने शुरू हुए. शाखाओं द्वारा वसूली कैम्प भी लगाये जाते हैं.



बैंक में ग्राहक का खाता एनपीए होता है तो निम्न वसूली प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है:

1. वसूली प्रमाण पत्र जारी करना.
2. समझौता करना यानि ओटीएस (एक बार समाधान योजना)
3. लोक अदालतों में पहल करना
4. डीआरटी में रिकवरी सूट फाइल करना
5. सरफेसी में रिकवरी सूट फाइल करना
6. इंसोल्वेंसी एंड बैंक्रेप्सी 2016

एनपीए का प्रबंधन :

यदि लेनदारों द्वारा समय के भीतर ऋण नहीं चुकाया गया तो बैंक के ऋण के बदले गिरवी रखी गई संपत्ति को जब्त कर सकता है और उस संपत्ति को बेच सकता है

एनपीए के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने सामरिक ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की थी.

जिस प्रकार हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है उसी प्रकार एनपीए की समस्या का भी समाधान है. अगर बैंक के सभी कर्मचारी बैंक के एनपीए कम करने हेतु अपना पूर्ण सहयोग देंगे. तो बैंक का एनपीए कम होकर बैंक का लाभांश में वृद्धि होगी.



हमारे बैंक के संयोजन में कार्यरत नराकास मदुरै को भारत सरकार का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ. शील्ड एवं प्रमाण पत्र ग्रहण करते हुए श्री एम के पाणिग्रही, क्षेत्रीय प्रमुख एवं श्री परशुराम राम, प्रबंधक राजभाषा.



अदावाकृत खातों का सक्रियकरण

प्रस्तावना

आपने ऋण का एनपीए होना तो सुना ही होगा लेकिन जमा को एनपीए होते हुए देखा सुना है कभी ? नहीं सुना होगा. यह नया मामला है. हाल ही में बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक को लगभग 35 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं. आपको आश्चर्य होगा कि यह राशि वह अदावाकृत राशि थी जिसे आप लावारिस राशि भी कह सकते हैं जो बैंकों के उन ग्राहकों की थी जो अपनी राशि जमा करके या तो भूल गए या मृत हो गए और वे कोई नामांकन नहीं कर पाए या उस राशि का कोई दावेदार नहीं रहा या उनका कहीं बाहर ट्रांसफर हो गया या किसी और कारण से 10 सालों तक बैंक के पास जमा रह गई थी. इसी राशि को जमा का एनपीए कहा जा रहा है. ऋण में एनपीए होने पर बैंकों को उतनी राशि का प्रावधान करना पड़ता है जो सीधे इनके लाभ से नामे होता है और जमा में एनपीए होने पर यह राशि आरबीआई को भेजनी पड़ती है जिससे बैंक का उतनी राशि से डिपॉजिट कम हो जाता है. आपको पता ही होगा कि बैंकों का पूरा कारोबार जमा राशियों से ही शुरू होता है. यह स्थिति भी बैंकों के लिए नुकसानप्रद है. यह स्थिति दुनिया भर के बैंकों में बनी हुई है. इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी किसी जमा खाते में सालों तक ग्राहक द्वारा या उसके मेंडेट द्वारा कोई जमा या नामे नहीं किया जाता है तो खाता अपरिचालित स्थिति में चला जाता है और यह स्थिति अगर 10 वर्ष तक बनी रहती है और उसका कोई दावेदार बैंक से संपर्क नहीं करता है तो बैंक इस खाते को अदावाकृत यानि लावारिस मानते हुए इसकी राशि को आरबीआई को ट्रांसफर कर देता है.

इस लेख में हम क्रमशः आरबीआई, बैंक एवं ग्राहक के नजरिए से अदावाकृत खातों के सक्रियकरण पर चर्चा करेंगे.

आरबीआई -

भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों का यह योगदान महत्वपूर्ण है. यह इस बात का भी संकेत है कि बैंक उपभोक्ता हितों को लेकर बेहद सतर्क दृष्टि रखते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2014 में Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) योजना की स्थापना की थी. असल में बैंकों के पास ऐसी रकम हमेशा से चिता का कारण रही है, जिनका कोई दावेदार नहीं है. लोग पैसा जमा किये और भूल गए. परिवार में किसी को बताया नहीं और असमय दुनिया से चले

गए. ऐसी रकम बैंक इस इंतजार में अपने पास रखती हैं कि न जाने कब कौन दावेदार आ जाए.

इस फंड की स्थापना से सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्र के बैंकों की इस समस्या का समाधान हो गया. उन्हें अपने पास पैसा रखने की मजबूरी नहीं है. वे केंद्रीय बैंक की ओर से तय दिशानिदेश के मुताबिक लावारिस रकम इस फंड में जमा कर रहे हैं और जब भी जरूरत हो रही है, मतलब दावेदार के सामने आने पर उसे वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दे रहे हैं.

ऐसी रकम के उचित दावेदारों का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने '100 Days 100 Pays' "सौ दिन सौ भुगतान" नामक एक अभियान शुरू किया है जो 1 जून 2023 से शुरू होकर 8 सितंबर 2023 तक चलने वाला है. केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे अपने क्षेत्राधीन प्रत्येक जिले में कम से कम सौ लावारिस जमा धन के दावेदारों का पता करें और जमा रकम उन्हें वापस करें. केंद्रीय बैंक ने इसके लिए अलग से एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिससे जरूरतमंदों का पैसा उन्हें वापस मिल सके और इसमें पूरी पारदर्शिता भी बनी रहे. इसके तहत बैंकों को टारगेट भी दिए गए हैं. इसके तहत हमारे बैंक के नागपुर क्षेत्र से लगभग 3 करोड़ की राशि आरबीआई को गई है. जिसे हमें उनके सही मालिकों तक पहुंचाना है. एक सामाजिक दृष्टिकोण भी इसमें नजर आता है. इन खाता धारकों में से कई काफी जरूरत मंद भी हो सकते हैं. यह राशि मिलने से उनकी कुछ बेहतरी हो सकती है. जैसे जैसे ग्राहक हमारे पास आते जा रहे हैं हम उनकी राशि उन्हें वापस कराते जा रहे हैं.


बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 26 ए के तहत वर्ष 2014 में डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) स्कीम शुरू करने की घोषणा की. तब से लगातार इसी योजना से बैंक सही दावेदारों को भुगतान कर रहे हैं. असल में बैंक इस तरह की राशि प्रति माह केंद्रीय बैंक में जमा कर देते हैं. पहले बैंकों द्वारा यह जानकारी वार्षिक आधार पर दिसंबर माह में दी जाती थी.

इस फंड की स्थापना से पहले सभी बैंक परेशानी में आ जाते थे. पर, अब बैंक ने यह काम आसान बना दिया है. यह फंड लावारिस जमा धन उचित दावेदारों को वापस करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है. इस फंड की स्थापना का उद्देश्य यही था कि जमाकर्ताओं और बैंकों का हित सुरक्षित रहे और वे जागरूक

रहें. इसका मुख्य उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा और जागरूकता फैलाना है. इस फंड की स्थापना के बाद से बैंक ने वित्तीय साक्षरता पर भी जोर दिया. इसके लिए बैंकों ने विभिन्न माध्यमों से लगातार अनेकों जागरूकता अभियान किए हैं .

हाल ही में आर बी आई के गवर्नर ने एक केंद्रीयकृत वेब पोर्टल UDGAM (unclaimed deposits-gateway to access information) लॉच किया है ताकि आम आदमी विभिन्न बैंकों में जमा अपने अदावाकृत खातों का पता आसानी से लगा सके।

देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने मिलकर 31 मार्च 2023 तक लगभग 35012 करोड़ रुपये इस फंड में जमा कराए. प्राइवेट बैंक भी इस मामले में पीछे नहीं रहे. उन्होंने भी 6087 करोड़ रुपये केंद्रीय बैंक को इस फंड के लिए उपलब्ध करवाए.



बैंक -

अगर कोई खाता एक वर्ष तक लेनदेन से दूर रहता है तो उस खाते को निष्क्रिय खाता कहा जाता है और यही स्थिति अगर 2 वर्ष तक रही तो इस खाते को अपरिचालित खाता कहा जाता है, अपरिचालित खाते की स्थिति में इस खाते को फ्रीज़ कर दिया जाता है. इस खाते में जमा तो हो सकता है लेकिन नाम नहीं हो सकता है. इसके लिए ग्राहक को उचित केवायसी के साथ खाते को परिचालित करने हेतु बैंक से अनुरोध करना होता है. यह स्थिति बैंक के लिए सहज नहीं होती, अक्सर देखा गया है कि इन अपरिचालित खातों में फ्रॉड भी होते रहते हैं. अक्सर बैंक स्टाफ या ग्राहक या कोई बाहरी व्यक्ति इसमें संलग्न पाया गया है. बैंक की छवि इससे प्रभावित होती है. इसके अलावा इन खातों की देखभाल के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाना पड़ता है जिनकी कमी से सभी बैंक जूझ रहे हैं. इस खातों को सक्रिय करने के लिए बैंक स्टाफ को भी जागरूक होने की आवश्यकता है. खाता अपरिचालित होते ही ग्राहक से सीधे, पत्र, मेल या एसएमएस के माध्यम से संपर्क करना शुरू कर देना चाहिए. बैंकों को अपनी शाखा में इसके बैनर पोस्टर भी लगाने चाहिए एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए. हमारी बैंक से लगभग 1240 करोड़ रुपए आरबीआई को

ट्रांसफर हुए हैं . यह हमारा नुकसान है. हमारा जमा इतने रुपए से कम हो गया.

इस राशि का सही दावेदार जब बैंक आता है तो बैंक उसके केवायसी से संतुष्ट होकर उसकी राशि को नामिनल खाते से भुगतान कर दिया जाता है और इस राशि को आरबीआई से क्लेम करके ले लिया जाता है. इससे बैंक को इस राशि को संभालने की झंझट नहीं रहती. इस योजना के बाद से इस प्रकार के फ्रॉड भी काफी कम हो गए हैं .

जितने अधिक खाते सक्रिय होंगे, उतना अधिक बैंक को लाभ होगा, एक तो यह राशि आरबीआई से बैंक के पास आ जाएगी, दूसरे ग्राहक को भी आश्चर्य मिश्रित खुशी होगी जिससे वह बैंक से और अधिक जुड़ पाएगा . आरबीआई इस राशि पर 3% ब्याज भी अदा करती है. बैंक अपने एवं आरबीआई के पोर्टल की जानकारी सभी को दे सकता है. इससे बैंक का काम भी आसान हो जाएगा. इस वेब पोर्टल पर जाकर किसी भी बैंक से किसी भी व्यक्ति के नाम को सर्च कर पता कर सकता है कि उस व्यक्ति का किस बैंक में अदावाकृत खाता है.

ग्राहक -

यह स्थिति ज़्यादातर बुजुर्गों के साथ बनती है. वे कई बार कोई नामांकन भी नहीं कराते हैं. कई बार बच्चों को या रिश्तेदारों को भी पता नहीं होता है कि उनका कोई बैंक खाता भी है. अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी लाईन है buyers be aware यानि खरीददारों/ ग्राहकों को जागरूक रहो. जागरूक ग्राहक हमेशा फायदे में रहता है. ग्राहक स्वयं भी जागरूक रहे और जागरूकता भी फैलाए. बैंक के ग्राहक को चाहिए कि वह अपने बैंक खाते से लेन देन करता रहे. आवश्यक नहीं होने पर भी वर्ष में 2-4 बार बैंक के चक्कर लगा ले और कुछ जमा निकासी कर ले. बुजुर्गों को चाहिए कि वे अपनी वित्तीय स्थिति और बैंक, बीमा खाते या अपने निवेशों की जानकारी अपने बच्चों या विधिक उत्तराधिकारियों को अवश्य दें. साथ ही सभी ग्राहकों को अपने बैंक खातों में नामांकन अवश्य कराना चाहिए.

ग्राहक आरबीआई या बैंकों की साईट पर उपलब्ध वेबपोर्टल पर जाकर स्वयं का या किसी का भी अदावाकृत खाता पता कर सकता है. जैसे कि अगर हमारे बैंक का पता करना है तो CBI Unclaimed Deposits List टाईप करें. अगर वह राशि उनसे संबन्धित है तो वे क्लेम फॉर्म, केवायसी एवं बैंक दस्तावेज़ बैंक में लाकर अपनी राशि प्राप्त कर सकते है.

सुझाव -

1. ऋण वसूली एजेन्ट की तर्ज पर इस कार्य हेतु भी एजेंसियों की



मदद ली जा सकती है

2. बैंकों में कार्यरत बीसी बीएफ की सहायता से यह कार्य बेहतर रूप से किया जा सकता है
3. समाचार पत्र, टेलिविजन व अन्य संचार माध्यमों का प्रयोग कर जागरूकता फैलाई जा सकती है
4. बैंकों द्वारा एसएमएस, ईमेल, पोस्टर, बैनर, नुक्कड़ नाटक, वाल पेंटिंग आदि का प्रयोग कर जागरूकता फैलाई जा सकती है
5. स्कूलों कॉलेजों में इस संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
6. इसमें बेहतर कार्य करने वाले बैंकों को आर आबीआई द्वारा प्रोत्साहन भी घोषित किया जा सकता है

उपसंहार : जब रू 35012 करोड़ की राशि की जानकारी सरकार को लगी तो वह भी इस बड़ी मात्रा को देखकर चकित थी इसलिए सरकार द्वारा तुरंत निदेश जारी किए गए कि किसी भी स्थिति में जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित रहें. कुल मिलाकर अदावाकृत खातों का सक्रियकरण बैंक व ग्राहक दोनों के हित में है. इससे खाते की राशि उचित व्यक्ति के पास पहुंचेगी. ग्राहक या उसके उत्तराधिकारी लाभ में होंगे एवं बैंक भी सहज ही लाभ की स्थिति में होंगे. इसकी अधिकाधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है ताकि बैंक व ग्राहक दोनों जागरूक हों. सरकार एवं आरबीआई की यह पहल प्रशंसा योग्य है. एक बैंकर के रूप में हम इस योजना का अधिकतम प्रचार प्रसार कर रहे हैं

अनिल चौबे,
वरिष्ठ प्रबन्धक राजभाषा
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर



सुश्री स्वर्णिमा सिंह, मुख्य
प्रबंधक (विधि), मुंबई
महानगर आंचलिक कार्यालय
द्वारा की गई गुलमोहर की
एक्रीलिक पेंटिंग.



डीपफेक तकनीकः प्रभाव एवं दुष्प्रभाव




नेहा अग्रवाल
वरिष्ठ प्रबंधक
आंचलिक कार्यालय, दिल्ली

डीपफेक एक कृत्रिम छवि या वीडियो (छवियों की एक श्रृंखला) है, जो एक विशेष प्रकार की मशीन लर्निंग द्वारा बनायीं गयी है, जिसे 'डीप लर्निंग' कहा जाता है. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डीप लर्निंग से तात्पर्य किसी तथ्य के बारे में गहराई से विचार करना होता है. हम अपने आम जीवन में भी जब किसी समस्या का समाधान ढूँढते हैं तो तर्कपूर्वक उस विषय पर गहराई से विचार करने के पश्चात ही कोई निर्णय लेते हैं. इसी प्रकार आज के उन्नत प्रौद्योगिकी के युग में मशीन भी डीप लर्निंग का कार्य करती है. वे एक दिए गए अल्गोरिथम के आधार पर उपलब्ध डाटा के विश्लेषण के पश्चात परिणाम प्रदान करती हैं.

विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और विशेष प्रभाव सृजित करने वाले अनेक स्टूडियो ने लंबे समय से वीडियो और चित्रों (छवियों) की उलट-फेर की सीमाओं के अन्वेषण पर कार्य किया है. लेकिन डीपफेक का जन्म 2017 में हुआ जब इसी नाम के एक उपयोगकर्ता ने वेबसाईट पर गलत तस्वीरों की क्लिप पोस्ट की. इस वीडियो में मशहूर हस्तियों जैसे गैल गैडोट, टेलर स्विफ्ट, स्कारलेट जोहानसन और अन्य के चेहरे दूसरे कलाकारों के साथ प्रतिस्थापित कर दिए गए थे.

डीपफेक को विकसित करने की प्रक्रिया:




चेहरे को बदलने वाले वीडियो बनाने में कुछ चरण लगते हैं.

सबसे पहले 'एनकोडर' नामक एआई अल्गोरिथम के माध्यम से दो लोगों के हजारों चेहरे के शॉट चलाये जाते हैं. एनकोडर दो चेहरों के बीच समानताएं ढूँढता है और सीखता है और इस प्रक्रिया में छवियों को कमप्रेसड करते हुए उन्हें उनकी साझा सामान्य विशेषताओं में कम कर देता है. फिर एक दूसरे एआई अल्गोरिथम जिसे 'डीकोडर' कहा जाता है, को कमप्रेसड छवियों से चेहरों को पुनर्प्राप्त करना सिखाया जाता है. क्योंकि चेहरे अलग-अलग हैं, इसलिए एक डीकोडर को पहले व्यक्ति का चेहरा पुनर्प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और दूसरे डीकोडर को दूसरे व्यक्ति का चेहरा पुनर्प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. फेस स्वैप करने के लिए बस एनकोडेड छवियों को "गलत" डीकोडर में फीड किया जाता है. उदाहरण के लिए, आप किसी 'क' नामक व्यक्ति के चेहरे की एक कमप्रेसड छवि किसी 'ख' नामक व्यक्ति पर प्रशिक्षित डीकोडर में डालते हैं. डीकोडर फिर 'क' नामक व्यक्ति के चेहरे के भावों और अभिव्यक्तियों के साथ 'ख' नामक व्यक्ति के चेहरे का पुनर्निर्माण करता है.

डीपफेक से संबंधित जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क (जीएएन):

एक जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क या जीएएन, एक मशीन लर्निंग विधि है जिसमें 'दो न्यूरल नेटवर्क'- एक 'जेनरेटर' और एक 'डिस्क्रिमिनेटर', सटीकता के अपने स्तर को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं. इस मॉडल में, जिसे प्रायः शून्य राशि गेम के रूप में जाना जाता है, जेनरेटर एक प्रशिक्षण डाटा सेट से अनियमित डाटा को एक छवि में परिवर्तित करता है. इस छवि को वास्तविक छवियों की एक धारा में जोड़ा जाता है जिसे फिर डिस्क्रिमिनेटर में आरोपित किया जाता है. डिस्क्रिमिनेटर का काम वास्तविक छवियों को कृत्रिम छवियों से अलग करना है.



न्यूरल नेटवर्क का लक्ष्य त्रुटियों को कम करना है। डीपफेक के मामले में इसका मतलब नकली छवि और वास्तविक छवियों के बीच अंतर को कम करना है।

न्यूरल नेटवर्क और डीपफेक के निर्माण में उसकी भूमिका:

न्यूरल नेटवर्क डीपफेक तकनीक का आधार है। न्यूरल नेटवर्क 'इंटरकनेक्टेड नोड्स' की "फीड-फॉरवर्ड" संरचना के माध्यम से मशीन लर्निंग को संभव बनाते हैं। ये नोड्स मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को प्रतिबिंबित करते हैं और मानव मस्तिष्क की तरह एक कंप्यूटर भी, प्रशिक्षण के माध्यम से अनेक कार्य करना सीख सकता है। एमआईटी के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2016 में यह बताया कि उनके कंप्यूटेशनल मॉडल ने मानव मस्तिष्क द्वारा चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग करते हुए चेहरों के "आपरिवर्तनीय प्रतिनिधित्व" की पहचान की।

उन्होंने मॉडल के लिए एक मशीन लर्निंग योजना अभिकल्पित और प्रशिक्षित की थी और यह पाया कि प्रशिक्षित प्रणाली में एक मध्यवर्ती प्रसंस्करण चरण शामिल था जो चेहरे के फेरने के कोणों का प्रतिनिधित्व करता था। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह कदम जो एल्गोरिथम में नहीं बनाया गया था और चेहरे और वस्तुओं की पहचान में मानव मस्तिष्क की नकल करता प्रतीत होता था, यह एक संकेत था कि उनकी प्रणाली और मस्तिष्क कुछ सामान कर रहे हैं।




एलेन इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन साइंस के क्रिस्टोफर कोच का यह मानना है कि आज के युग में जब हर चीज पर या तो बड़े डाटा या विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन का प्रभुत्व है, तो यह आपको दिखाता है कि सीखने की एक सैद्धांतिक समझ कुछ हैरान करने वाले निष्कर्ष को कैसे समझा सकती है। पचास वर्ष के न्यूरल नेटवर्क में पांच से भी

कम परते होती थी। आज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इकाइयों की उन्नत क्षमताएं 50 परतों तक की गहराई वाले न्यूरल नेटवर्क को शक्ति प्रदान करने में सक्षम हैं।

डाटा विज्ञानियों को डीप लर्निंग को पूरी तरह से समझने के लिए, उन्हें न्यूरल नेटवर्क के एक ठोस बुनियादी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया अत्यंत सीधी है। न्यूरल नेटवर्क की सभी परतों में नोड्स इनपुट सिग्नल प्राप्त करते हैं और गणना करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आउटपुट सिग्नल मिलते हैं जो नोड्स अगली परत पर फीड करते हैं, नोड्स की जितनी अधिक परते होती हैं, उसका नेटवर्क उतना ही गहरा होता है। न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट परत एक गहरे नेटवर्क में छिपी परतों की गणना के आधार पर भविष्यवाणियां करती है। प्रशिक्षण प्रक्रिया में नेटवर्क यह निर्धारित करता है कि अगली परत की गणना में कौन से इनपुट मान का उपयोग किया जाना चाहिए।

डीपफेक पहचान:



प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार के साथ इसकी पहचान करना कठिन होता जा रहा है। हाल में शोधकर्ताओं ने अपने शोध में यह पाया है कि डीपफेक चेहरे सामान्य रूप से पलके नहीं झपकाते हैं। एल्गोरिथम वास्तव में पलक झपकाने के बारे में कभी नहीं सीख पाते हैं लेकिन नवीनतम शोध के साथ डीपफेक में पलक झपकने की समस्या को ठीक कर लिया गया है।

खराब गुणवत्ता वाले डीपफेक की पहचान करना अत्यंत सरल काम है। इसमें लिप सिंकिंग, तारतम्यता या त्वचा का रंग फीका और ट्रांसपोज्ड चेहरों के किनारों के आसपास साम्यता की थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ सकती है।

विभिन्न देशों की सरकार, विश्वविद्यालय और तकनीकी कंपनियां डीपफेक का पता लगाने के लिए अनुसंधान को वित्त पोषित कर रहे हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेजन द्वारा समर्थित पहला डीप फेक डिटेक्शन चैलेन्ज शुरू किया गया है। इसमें डीपफेक डिटेक्शन गेम में वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दुनिया भर की अनुसंधान टीमों शामिल होंगी।

डीप फेक प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग:



वर्तमान में सभी के पास सुलभता से प्रौद्योगिकी की पहुंच गंभीर परिणामों को जन्म दे रही है। डीपफेक जैसी प्रौद्योगिकी अदालतों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकती है। विशेष रूप से आपराधिक मामलों में, जहां नकली गतिविधियों को सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है। ये व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी जोखिम पैदा कर सकते हैं। जैसे कि - डीपफेक बायोमैट्रिक डाटा की नकल कर सकता है और संभावित रूप से उन प्रणालियों को चकमा दे सकता है जो चेहरे, आवाज, भाव भंगिमा के आधार पर संचालित होती हैं। इनमें घोटाले की अपार संभावना परिलक्षित होती है। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ठगी से आप सावधान रह सकते हैं लेकिन क्या होगा यदि वही अज्ञात व्यक्ति आपके परिवार के किसी सदस्य की आवाज में ऑडियो अथवा वीडियो कॉल करके तत्काल आपसे किसी मदद के रूप में कुछ पैसे की मांग कर बैठे। इस प्रकार यह बहुत ही भ्रामक स्थिति पैदा करता है। डीपफेक का दुरुपयोग देशों के बीच राजनीतिक या धार्मिक तनाव पैदा करने, जनता को गुमराह करने और चुनाव अभियानों में परिणाम को प्रभावित करने या फर्जी खबरें बनाकर वित्तीय बाजारों में अराजकता पैदा करने के लिए किया जा सकता है। यद्यपि डीप फेक के गलत अनुप्रयोगों को विफल करने के लिए कानून और नीतियां लागू की गई हैं लेकिन आलोचकों का कहना है कि इनमें से कई नियम पर्याप्त रूप से लागू नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में डीप फेक से जुड़े किसी अनुचित अनुप्रयोग में व्यक्ति-परक निर्णय लेने होते हैं।

भारत में डीप फेक जैसी गतिविधियों को रोकने के संबंध में कानूनी प्रावधान:



सोशल मीडिया के युग में डीपफेक तेजी से एक समस्या बनती जा रही है और इसका उपयोग करते हुए जालसाज ऑनलाइन गलत सूचना फैलाने की धमकी किसी व्यक्ति/संस्था को दे कर उसके बदले अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। हालांकि भारत में ऐसे कानून का प्रावधान है जिसके अंतर्गत धमकी देने वाले जालसाज व्यक्ति पर डीपफेक वीडियो बनाने के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है। भारत का आईटी नियम 2021 नकली या डीप फेक का उपयोग करके निर्मित की गई सभी सामग्री के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट करने पर 36 घंटे के भीतर मध्यस्थ प्लेटफॉर्म द्वारा उन्हें हटाने का निर्देश देता है।

अभी हाल में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो के वायरल होने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 डी के तहत ऑनलाइन प्रतिरूपण करना अवैध है। आईटी नियम 2021 ऐसी किसी भी सामग्री की मेजबानी पर रोक लगाता है जो किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करता है।

समावेशी विकास के लिए डीप फेक जैसी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता: हाल ही में दिल्ली में आयोजित 'ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन' में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि -

“एआई 21वीं सदी में तकनीकी विकास का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है लेकिन यह 21वीं सदी का विनाश करने की भी समान रूप से ताकत रखती है।”

उन्होंने कहा, “डीप फेक, साइबर सुरक्षा और डाटा चोरी की चुनौतियों के अलावा एआई उपकरणों का आतंकवादियों के हाथों में पड़ना एक बड़ा खतरा है।

अगर एआई से लैस हथियार आतंकवादी संगठनों तक पहुंच गए तो वैश्विक सुरक्षा को एक बड़े खतरे का सामना करना होगा। हमें इसके बारे में गौर करना होगा और एआई का दुरुपयोग रोकने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी।”

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत ने G-20 समूह का अध्यक्ष रहते समय एआई के लिए एक जिम्मेदार, मानव केंद्रित शासन ढांचा बनाने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने आगे कहा कि -

“जिस तरह हमारे पास विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के लिए समझौते और प्रोटोकॉल हैं, उसी तरह हमें एआई के नैतिक उपयोग के लिए भी एक वैश्विक ढांचा बनाना होगा। इसमें अधिक जोखिम और सीमांत एआई उपकरणों के परीक्षण और तैनाती का एक प्रोटोकॉल भी शामिल होगा।”



निष्कर्ष: डीपफेक तकनीक के नैतिक निहितार्थों पर पिछले कई वर्षों से बहस चल रही है. जबकि छवि और वीडियो हेर-फेर के कई लाभकारी उपयोग हैं, शोधकर्ताओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की इस विकसित शाखा के शीर्ष पर बने रहने की आवश्यकता होगी और अहितकर प्रयोक्ताओं द्वारा नियोजित हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाव के लिए अपने कौशल को सुधारना जारी रखना होगा.

डीप फेक का उपयोग संचार, ई-कॉमर्स और मनोरंजन जगत में अभूतपूर्व विकास की क्षमता रखता है. कला एवं सिनेमा जगत

में इसका उपयोग सर्वाधिक है. साथ ही यह हमारे व्यापारिक, खासकर रिटेल क्षेत्र की गतिविधियों को अत्यंत तीव्र एवं सुलभ बना सकता है. ऐसी शक्तिशाली प्रौद्योगिकी में निहित खतरा स्वाभाविक है और यह प्रत्येक नए विकास के साथ बढ़ता जाता है. जैसे-जैसे डीप फेक में सुधार होता जा रहा है उसी अनुपात में उस से खतरा बढ़ता जा रहा है. हमें इससे जुड़े जोखिम पर अपने नियंत्रण प्रणाली को मजबूत बनाते हुए इसके बहुआयामी क्षेत्र में संभावित उपयोग का लाभ उठाना चाहिए.



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से जबसे बैंक "सेन्ट्रल" TO YOU SINCE 1911



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम

- ❖ बैंक ने सभी व्यावसायिक मानदंडों पर सतत रूप से बेहतर प्रदर्शन प्रदर्शित किया है।
- ❖ 31 मार्च 2024 को समाप्त 12 महीने की अवधि के लिए शुद्ध लाभ 61.13% बढ़कर ₹2549 करोड़ हो गया है, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹ 1582 करोड़ था।
- ❖ मार्च, 2024 को बैंक का कुल व्यवसाय ₹636756 करोड़ हो गया है, इसमें विगत वर्ष के ₹ 577075 करोड़ की तुलना में ₹ 59681 करोड़ (वार्षिक आधार पर 10.34%) की वृद्धि दर्ज की गई है।
- ❖ वार्षिक आधार पर सकल अग्रिम 15.60% बढ़कर ₹251745 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह ₹217779 करोड़ था।
- ❖ वार्षिक आधार पर 394 बीपीएस के सुधार सहित सकल एनपीए 4.50% हो गया है।
- ❖ शुद्ध एनपीए वार्षिक आधार पर 54 बीपीएस के सुधार सहित 1.23% हो गया है।
- ❖ प्रावधान कवरेज अनुपात वार्षिक आधार पर 110 आधार अंकों के सुधार सहित 93.58% रहा।
- ❖ 2024 तक बैंक के अखिल भारतीय नेटवर्क में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 2938 शाखाओं (65.29%) सहित कुल 4500 शाखाएं, 4084 एटीएम और 11682 बीसी प्वाइंट्स 20266 टच प्वाइंट्स शामिल हैं।

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

देश के सांस्कृतिक विस्तार में हिन्दी की भूमिका



खिलेश सहारे
सहायक प्रबंधक- वसूली
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

कोई भी भाषा दो प्रमुख कारणों से उत्थान करती है. एक उसका साहित्य एवं इतिहास उत्तम हो. दूसरा, उसके माध्यम से व्यापार के जरिए नागरिकों का भविष्य उज्ज्वल हो. दोनों मापदंडों पर हिन्दी खरी उतरती है. इस तरह हिन्दी के भविष्य को तो कोई खतरा नहीं दिख रहा है किन्तु वास्तविक प्रश्न इससे थोड़ा अलग है. वह जुड़ा है हिन्दी की अस्मिता से, भारत की सांस्कृतिक विरासत से, वैश्विक परिदृश्य में भारत की राष्ट्रवाद की भावना से. हिन्दी और हिंदुस्तान को समझने के लिए भारत के ऐतिहासिक परिदृश्य को समझना आवश्यक है. भारतीय शिक्षा संस्कृत और हिन्दी के साथ राष्ट्र निर्माण की अवधारणा पर आधारित थी. उसमें धर्म, संस्कृति एवं नैतिकता का समावेश था. उसमें स्वहित से ज्यादा राष्ट्रहित को महत्व दिया जाता था. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब भारतीयों द्वारा अंग्रेजों को कड़ी चुनौती मिली तब लार्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद को बताया कि जब तक भारत कि परंपरागत व्यवस्था जारी रहेगी, तब तक हम भारत पर लंबे समय तक कब्जा नहीं रख पायेंगे. मैकाले के अनुसार अगर भारत के सांस्कृतिक ढांचे को छिन्न - भिन्न कर दिया जाए तो अंग्रेज ज्यादा समय तक भारत पर राज कर सकते हैं. इसी क्रम में भारत में गुरुकुल प्रणाली को खत्म करके कान्वेंट स्कूल खोले गए. इसके बाद संस्कृत के स्थान पर अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया. पाठ्यक्रम से सांस्कृतिक पुष्टता वाली बातें हटाकर गुलाम और लाचार बनाने वाली पाठ्य शैली शुरू की गई. यहां से हिन्दी का पतन करने का षडयंत्र शुरू हुआ. इसके बाद अंग्रेजी भाषा, जो भारत की भाषा नहीं थी. उसे भारत की कामकाज की भाषा बनाकर भारत की सभी भाषाओं पर थोप दिया गया. फिर अंग्रेजों ने शिक्षा, कानून, एवं भाषायी व्यवस्था बदल दी. इसके बाद व्यवस्था का वह स्वरूप सामने आया जो आज भी बरकरार है. महात्मा गाँधी ने भी अंग्रेजों को व्यापारी प्रजा कहा था और आज दिख रही आर्थिक असमानता हर वस्तु को व्यापार बना देने के कारण है. वैश्विक व्यापार के हिमायती आखिर उस भाषा को पल्लवित करते हैं जिससे उनका व्यापार बढ़े. जैसे-जैसे हिन्दी

भाषी क्षेत्रों में पाठक वर्ग बढ़ रहा है उन क्षेत्रों में अंग्रेजी के स्थान पर अब हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है.

हिन्दी भारत की आत्मा है, जब तक उसका मूल तत्व शिक्षा में समाहित नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देने वाला. अपनी सारी शक्तियों और सम्पदा के बावजूद क्या विविधताओं से परिपूर्ण और भाषाई वैविध्य वाले समूचे भारतवर्ष की संस्कृति को विश्व के सम्मुख परोसने एवं प्रस्तुत करने के लिए हिन्दी ने स्वयं उसे आत्मसात कर लिया है? यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, जिसे हिन्दी ने अपनाया न हो अपने आँगन में बसाया न हो भला उसे बाहरी दुनिया के समक्ष वह प्रस्तुत करेगी भी तो कैसे? इस प्रश्न के कई आयाम हो सकते हैं और उन सब पर बहुत कम होने के बावजूद अभी बहुत कुछ होना शेष है, यह स्वीकार करने में हिन्दी के सिपाहियों को संकोच नहीं करना चाहिये.

हिन्दी में जो कुछ लिखा, क्या उसमें देश की अन्य भाषाओं में लिखित और प्रकाशित पुस्तकों, दस्तावेजों एवं विभिन्न साहित्य का अनुवाद सहजता से उपलब्ध है? तमिल, तेलगु, कन्नड व मलयालम आदि भाषाओं में हाल ही के दशकों में रचित व प्रकाशित पुस्तकों खासकर साहित्यिक कृतियों को हिन्दी के आँगन में लाकर बसाने का कार्य इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह सूत्र उसी गहनता के साथ देश की अन्य भाषाओं, गुजराती, मराठी, बांग्ला या असमिया पर भी लागू होता है. भारत के दूसरे राष्ट्रपति और प्रख्यात दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहा करते थे कि भिन्न -भिन्न भाषाओं में लिखे जाने के बावजूद भारतीय साहित्य की आत्मा एक है. यह कथन अक्षरशः सत्य है. राम -कृष्ण भक्ति में लिखे गए साहित्य की जो सरिताएँ सुदूर दक्षिण में दक्षिणी भाषाओं में स्वतः रूप से प्रस्फुटित हुई हैं, उनके समांतर उत्तर और पूर्वोत्तर तक समकालीन और समकक्ष रचना संसार संबंधित भाषाओं में भी जिस का तस प्राप्त होता है. अगर उत्तर वाले कृष्ण भक्ति के सूरसागर में जिस अंदाज में गोते लगाते हैं, तेलगु भाषी पोतना के भक्ति पोत पर सवार

होकर वैसा ही आनंद प्राप्त करते देखे जा सकते हैं. यह एकात्मता समूचे भारत में और लगभग सब भाषाओं में अनुभूत की जा सकती है. किन्तु इस एक्य के बावजूद वेमना से पोतना तक व इस श्रेणी के अन्य संतो और रचनाधर्मियों की कृतियां हिन्दी में अनूदित होकर स्वदेशी व विदेशी पाठकों के लिए सुलभ हो, यह तत्काल करने योग्य कार्य है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस संदर्भ में थोड़ा सा ज्यादा कार्य हिन्दी सेवा में जुटे विद्वानों ने हमेशा जारी रखा है. इसका ताजा उदाहरण दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा कि वह परियोजना है जिसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ व मलयालम भाषाओं के 5-5 प्रतिनिधि ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद कर लोकार्पित करने की तैयारी पूरी हो गई है. इस परियोजना के तेलगू अनुभाग

का संयोजन कार्य संभालने वाले सेवानिवृत्त एम.वेंकटेश्वर बताते हैं कि तेलुगु साहित्य के इतिहास के अलावा नारायण राव, हिना ज्वाला और परिवर्तन नामक तीन उपन्यास व दाशरथी संचयिका नामक संग्रह दक्षिण भारत हिन्दी प्रचारसभा के तत्वावधान में तेलगु से हिन्दी में अनूदित होकर प्रकाशित होने वाले ग्रन्थों में शामिल है. शेष तीनों भाषाओं में भी इसी प्रकार 5-5 ग्रंथ हिन्दी के आंगन में दस्तक देने के लिए तैयार है. ऐसा हो सका तो हम हिन्दी को विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति की ओर प्रभावी संवाहिका बनाने की दिशा में बढ़ते नजर आयेंगे. इस प्रक्रिया में हिन्दी आंतरिक रूप से भी अधिक समृद्ध होकर उभरेगी यह भी तय है.



दिनांक 17.01.2024 को अंचल कार्यालय पुणे में अंचल प्रमुख 'श्री बी. बी. मुटरेजा' एवं केंद्रीय कार्यालय से सहायक महाप्रबंधक श्री राजीव वाणर्णे के करकमलों द्वारा पुणे अंचल की राजभाषा समीक्षा बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई.



दिनांक 11.01.2024 को उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, भारत सरकार डॉ. छबील कुमार मेहेर द्वारा हरदोई शाखा की राजभाषायी निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. इस अवसर पर शाखा द्वारा तैयार किये गये राजभाषा पोस्टर का विमोचन किया गया.



दिनांक 12.02.2024 क्षेत्रीय कार्यालय बरपेटा रोड स्थित शाखा तेजपुर का निरीक्षण उप निदेशक श्री बदरी यादव द्वारा सफलता पूर्वक किया गया, जिसमें शाखा तेजपुर की हिन्दी संबंधी कार्य एवं सक्रियता की सराहना की गई.



दिनांक 09.02.2024 को चंडीगढ़ बैंक नराकास के तत्वावधान में आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा उप अंचल प्रमुख श्री पुरुषोत्तम मीणा एवं क्षेत्रीय प्रमुख श्री सुधांशु शेखर की अध्यक्षता तथा चंडीगढ़ नराकास के सदस्य सचिव श्री संजीव जैन की उपस्थिति में 'स्मरण शक्ति प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया.

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

मातृभाषा का महत्व

संदीप कुमार जैसवाल
वरिष्ठ प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर



बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज अपनी भाषाओं के माध्यम से अस्तित्व में हैं, जो पारंपरिक ज्ञान और संस्कृतियों को समुचित तरीके से प्रसारित और संरक्षित करते हैं। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फ़रवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।

'मातृभाषा' शब्द किसी राष्ट्र की अपनी भाषा है और यह उस राष्ट्र विशेष की संस्कृति और पहचान को दर्शाता है। एक मूल भाषा जिससे दूसरी भाषा उत्पन्न होती है, मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा और प्रथम भाषा में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है क्योंकि दोनों ही किसी व्यक्ति की मूल भाषा को संदर्भित करते हैं।

यह उस भाषा को संदर्भित करता है जो बच्चा जन्म से सीखता है उसे जन्म भाषा कहा जाता है, और इसलिए यह विभिन्न कारणों से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जैसा कि नाम से पता चलता है, एक भाषा आपके प्राथमिक देखभालकर्ता से आती हुई दिखाई देती है, वह व्यक्ति जो आपके बचपन में आपकी सबसे अधिक देखभाल करता था, और परंपरागत रूप से यह माताएँ होती थीं। तो, यह संभवतः रूपक वाक्यांश, मातृभाषा का उद्गम बिंदु, प्रारंभिक स्थान है।

मातृभाषा वह भाषा है जो बच्चे को जन्म के बाद सुनने को मिलती है और हमारी भावनाओं और विचारों को एक निश्चित आकार देने में मदद करती है। अन्य महत्वपूर्ण सोच कौशल, दूसरी भाषा सीखने और साक्षरता कौशल में सुधार के लिए मातृभाषा में सीखना भी महत्वपूर्ण है।

कई कारणों से मातृभाषा को मानव जीवन का सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। यह लोगों की सोच और भावनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण है। एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए मातृभाषा में बोलना सीखना बहुत जरूरी है। अपनी मातृभाषा, जिसे हम मूल भाषा भी कह सकते हैं, में पारंगत होने से बच्चे को कई तरह से लाभ होता है। यह बच्चे को अपनेपन की भावना प्रदान करता है और उसे अपनी जड़ों को समझने में मदद करता है। यह बच्चे को उसकी संस्कृति से जोड़ता है, उन्नत संज्ञानात्मक विकास सुनिश्चित करता है और विभिन्न भाषाओं को सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है।

अध्ययनों से पता चला है कि अपनी मातृभाषा में धाराप्रवाह बोलने से संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास तुलनात्मक रूप से तेजी से होता है। जिस छात्र को मातृभाषा में पढ़ाया जाता है उसकी शैक्षणिक

सफलता उस छात्र की तुलना में अधिक होती है जिसे उसकी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में पढ़ाया जाता है।

भाषाएँ हमारी संस्कृति को जीवित रखने का प्राथमिक साधन हैं। अक्सर, एक भाषा का दूसरी भाषा में सीधा अनुवाद स्रोत भाषा के समान सार को व्यक्त नहीं कर पाता है। इसलिए, किसी संस्कृति को पूरी तरह से जानने का सबसे अच्छा तरीका उसकी भाषा को समझना है। मातृभाषा हमें अपने पारंपरिक, सांस्कृतिक मूल्यों और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मदद करती है।

जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा अच्छी तरह जानता है, तो उसके लिए नई भाषा सीखना आसान हो जाता है। यदि कोई बच्चा कम उम्र से ही अपनी मातृभाषा में पढ़ता है, तो उसके पास अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने का अधिक कौशल होगा।

व्यवसाय स्थानीय तरीके से चल रहे हैं, इसलिए मातृभाषाओं का महत्व तेजी से बढ़ गया है। यदि आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं तो अपने स्थानीय ग्राहकों से संवाद करने के लिए मातृभाषा जानना फायदेमंद है। आज की अर्थव्यवस्था में अपनी मातृभाषा की मदद से पैसा कमाने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं।

एक बच्चा सबसे पहले अपने आस-पास की चीजों को उस भाषा के माध्यम से समझता है जिसमें वह अपनी माँ को अपने जन्म से पहले से बातचीत करते हुए सुनता है और अपने जीवन के बारे में सोचता है। विकासशील दुनिया भर में कई बच्चे स्कूल में बहुत कम सीख रहे हैं, एक वास्तविकता जिसे उस भाषा में पढ़ाने से जोड़ा जा सकता है जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझते हैं। यह एक ऐसी प्रथा है जो सीमित या अस्तित्वहीन सीखने और ज्ञान और कौशल के अधिग्रहण, अनुभवों को अलग करने और उच्च ड्रॉप-आउट और पुनरावृत्ति दर की ओर ले जाती है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भाषा नीतियों में मातृभाषा सीखने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा की उपेक्षा करने वाले शिक्षा के मॉडल अनुत्पादक, अप्रभावी हो सकते हैं और बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कम से कम प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा शिक्षा शिक्षकों को पढ़ाने और शिक्षार्थियों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में सक्षम बना सकती है।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल,
बिनु निज भाषा - ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।



भारतीय बैंकिंग उद्योग का विकास



श्री प्रवीण रोहिल्ला,
प्रबन्धक, (वसूली विभाग)
आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़

पहली पीढ़ी की बैंकिंग : (1947 से पूर्व)

स्वतन्त्रता अवधि से पूर्व 1947 तक स्वदेशी आंदोलन के दौरान कई छोटे स्थानीय बैंकों ने जन्म लिया. उनमें से अधिकांश आंतरिक धोखाधड़ी, परस्पर संबद्ध उधार और व्यापार एवं बैंकिंग बुक के संयोजन के कारण विफल रहे.

दूसरी पीढ़ी की बैंकिंग : (1947-1967)

भारतीय बैंकों ने कुछ व्यावसायिक परिवारों या समूहों को संसाधनों के केन्द्रीकरण और कृषि क्षेत्र के माध्यम से ऋण प्रवाह की अपेक्षा जमा के माध्यम से जुटाये जाने की सुविधा उपलब्ध करा दी.

तीसरी पीढ़ी की बैंकिंग : (1967-1991)

सरकार द्वारा 2 प्रमुख चरणों (1969 और 1980) में 20 प्रमुख निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से उद्योगों तथा बैंकों के बीच साँठ-गाँठ तोड़ने के प्रवाह को प्राथमिक क्षेत्र के ऋण प्रवाह को लागू करने में सफल रही. इन पहलों के परिणामस्वरूप "क्लास बैंकिंग" से "मास बैंकिंग" में बदलाव संभव हुआ. इसके अलावा नेटवर्क शाखा विस्तार, सार्वजनिक जमा और कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा.



चौथी पीढ़ी की बैंकिंग : (1991-2014)

इस अवधि में ऐतिहासिक सुधारों को देखा गया जहां प्रतिस्पर्धा एवं उत्पादकता को बढ़ाने के साथ - साथ दक्षता बढ़ाने के लिए भी निजी और विदेशी बैंकों को नए लाइसेंस जारी किए गए. इसकी

प्राप्ति प्रौद्योगिकी की सहायता से; विवेकपूर्ण मानदंडों की शुरुआत करके; कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ बैंकों के परिचालन में लचीलापन प्रदान करके; कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करके और बेसल मानदंडों के अनुसार पूंजी आधार को मज़बूत करने जैसे विभिन्न कदमों के माध्यम से की गई थी.

बैंकिंग की पाँचवी पीढ़ी - आगे की राह :

दूसरी श्रेणी में कई मध्यम ऋणदाता शामिल हो सकते हैं जिनमें ऐसे बैंक भी शामिल हो सकते हैं जो अर्थव्यवस्था में व्यापक उपस्थिति को दर्शाते हैं. इन सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों का विलय कर दिया है और बैड बैंक आदि की स्थापना की दिशा में कदम उठाए हैं.

लाभप्रदता को उन्नत करने के सुझाव:

नरसिम्हम् समिति ने बैंकों की वित्तीय शक्ति और लाभप्रदता को उन्नत करने के निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

- सभी संदिग्ध ऋणों की देखभाल के लिए परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण निधि कायम करना चाहिए.
- समय के उपरान्त कानूनी तरलता अनुपात घटाकर 25% कर देना चाहिए और इसी प्रकार रोक आरक्षण अनुपात कम करके कुल जमा के उसे 5% तक लाना चाहिए. इस प्रकार बैंकों में लाभदायक प्रयोगों के लिए अधिक राशियाँ उपलब्ध हो सकेंगी.
- कानूनी तरलता अनुपात के अधीन जो सरकारी और अहं-सरकारी प्रतिभूतियाँ सरकार द्वारा बैंकों को प्रस्तुत की जाती हैं, उन पर ऊँची ब्याज दर देनी चाहिए.
- बैंकों को उधार की न्यूनतम ब्याज दर निश्चित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए.
- प्राथमिकता क्षेत्र के लिए उधार की मात्रा कुल उधार के वर्तमान 40 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर देनी चाहिए.

- vi) सभी रियायती ब्याज दरें समाप्त कर देनी चाहिए.
- vii) बैंकों को रशियां प्राप्त करने के नए स्रोत ढूंढने चाहिए. उदा-जमा-प्रमाणपत्रों द्वारा बैंक को काफी जमा-राशि प्राप्त हो सकती है जिसे बाद में निगम क्षेत्र को अधिक लाभदायक ब्याज-दर पर उधार दिया जा सकता है.
- viii) बैंक 365 दिन के राजकोषीय बिल जारी कर सकते हैं जिन पर अधिक ब्याज दर प्राप्त हो सकती है.
- ix) शाखा विस्तार को कड़े रूप में वाणिज्यिक आधार पर ही बढ़ावा देना चाहिए.

धन की वसूली के लिए कानूनी सूचना और विधिक प्रावधान :

आपके नियोक्ता, मित्र, या किसी अन्य पार्टी से धन की वसूली के लिए आपके द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है, जिनको आप अपना पैसा देते हैं. रिकवरी में पहला कदम कानूनी नोटिस भेजने का होना चाहिए क्योंकि अधिकांश रिकवरी के मामले इस चरण में ही हल हो जाते हैं, और आपको अदालत में जाने की जरूरत नहीं होती है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अपने नोटिस पर तुरंत प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए और आपके पास अपने पैसे की वसूली के लिए अधिकतम अवसर हो जाते हैं. बैंकों में एनपीए वसूली हेतु विधिक प्रावधान और उसके मानदंड किसी भी बैंक के लिए एनपीए का बढ़ना बहुत बड़ी समस्या होती है. बैंक में हम लोग अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं लेकिन बैंक हमसे पैसा लेने के साथ साथ उन पैसों को जरूरतमंद लोगों को लोन या ऋण के रूप में भी देता है. यही बैंक के द्वारा कमाई करने का प्रमुख साधन होता है जिसमें वह अपने यहाँ पड़े पैसों को अलग अलग लोगों को लोन के रूप में देता है. किन्तु जब लोन ले रहे व्यक्ति उन पैसों का भुगतान नहीं करते हैं या लोन की किश्तों को चुकाना रोक देते हैं तो बैंक उस खाते को एनपीए खाते में बदल देता है.

भारिबैं को सूचना देना :



बैंकों द्वारा विधिक प्रावधान के तहत जो चीज़ सबसे पहले की जाती है, वह होती है देश के सर्वोच्च भारतीय रिज़र्व बैंक को इसकी

सूचना दिया जाना. दरअसल देश में हर बैंक चाहे वह सरकारी हो या निजी या अन्य कोई बैंक, वह भारिबैं की बनायी गयी नीतियों के तहत ही काम करता है. ऐसे में यदि किसी खाते को एनपीए खाता घोषित किया गया है तो बैंक के द्वारा सबसे पहले इसके बारे में उसे ही इन्फॉर्म करना होता है. एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट अर्थात् एक ऐसा खाता जो अब निष्क्रिय हो चुका है और वहां से लोन की किश्तें मिलने में दिक्कत हो रही है. अब बैंक का यह पैसा फंसा हुआ मान लिया जाता है और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए बैंक के द्वारा हर संभव कोशिश की जाती है. इसके लिए बैंक भारिबैं के द्वारा बनाये गए नियमों व शर्तों का पालन करते हुए आगे बढ़ता है और एनपीए की वसूली की कार्यवाही करता है. एनपीए वसूली हेतु की जाने वाली कार्यवाही में बैंक अपनी ओर से सामान्य कार्यवाही सहित विधिक व न्यायिक कार्यवाही भी करता है ताकि लोन की राशि को पुनः प्राप्त किया जा सके.

बैंक के लिए एनपीए की वसूली करना बहुत ही जरूरी होता है. इसके लिए बैंक अपनी ओर से वह हर तरह की कोशिश करता है जिसके तहत उसका फंसा हुआ पैसा वापस आ जाए. इसके लिए बैंक के अधिकारी संबंधित व्यक्ति से बातचीत करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह लोन की किश्तों को क्यों नहीं चुका रहा है या इसमें किस तरह की दिक्कत आ रही है. यदि उस व्यक्ति के साथ बातचीत कर और लोन की शर्तों में थोड़ा बदलाव कर यह समस्या सुलझ जाती है तो बहुत बढ़िया बात है. ऐसे में बैंक का यही प्रयास रहता है कि उस लोन खाते को एनपीए में बदलने से पहले ही उसका समाधान किया जा सके. वहीं यदि वह खाता एनपीए में बदल भी गया है तो उसके बाद भी सामान्य तरीके से उसका समाधान हो जाये तो बढ़िया है.

वसूली एजेंटों के माध्यम से एन पी ए पर कार्यवाही : अब बैंक के द्वारा रिकवरी एजेंट्स को भी काम पर लगाया जाता है जो इसी काम के लिए ही बैंक में भर्ती किये जाते हैं. अब यह वे व्यक्ति होते हैं जो बैंक का फंसा हुआ पैसा वापस लाने में उसकी सहायता करते हैं. उन्हें हर तरीके की जानकारी होती है और बैंक के नियम, शर्तों, लोन की राशि, एनपीए खाता की जानकारी तथा विधिक प्रक्रिया आदि उन्हें पता होते हैं. ऐसे में वे संबंधित व्यक्ति से संपर्क साधते हैं, उनके घर जाते हैं या जहाँ वे रहते हैं, वहां जाकर उनसे मिलते हैं. वे उनसे विस्तार से बात करते हैं, लोन नहीं चुकाने और एनपीए खाता बनने के बारे में बात करते हैं, उनकी समस्या जायज है तो बैंक को सूचित करते हैं और उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं. एक तरह से रिकवरी एजेंट्स बैंक तथा एनपीए खाताधारक के बीच एक कड़ी का काम करते हैं ताकि मामले का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके.

ग्राहक की संपत्ति जब्त करना : जब बैंक के द्वारा किसी व्यक्ति

को लोन दिया जाता है या ऋण पर राशि दी जाती है तो बैंक उस व्यक्ति से कुछ चीजें अपने पास गिरवी रख लेता है. इसमें मुख्य चीज उस बैंक के द्वारा व्यक्ति की संपत्ति के कागजात शामिल होते हैं. हालाँकि यह जरूरी नहीं है कि बैंक के पास उस व्यक्ति की संपत्ति के कागजात हो तभी वह उस पर कार्यवाही कर पायेगा क्योंकि उसके लिए वह न्यायालय का सहारा ले सकता है. हालाँकि यदि उसे बिना कानून का सहारा लिए ही उस व्यक्ति पर कार्यवाही करनी है तो उसके पास पहले से ही उस व्यक्ति की संपत्ति के कागजात होने चाहिए. इसी के साथ ही बैंक अपने बनाये नियम व शर्तों के अनुसार उस व्यक्ति से पहले ही उन डाक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करवा लेता है. अब यदि वह व्यक्ति लोन की राशि नहीं चुकाता है या उसके लोन खाते को एनपीए खाता बने हुए ज्यादा समय बीत चुका है तो बैंक उसकी संपत्ति को नीलाम करके लोन की राशि की वसूली करता है.

न्यायालय में केस करना : यह किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के द्वारा लोन की राशि की वसूली के लिए की जाने वाली अंतिम कार्यवाही होती है. अब यदि किसी खाते को एनपीए खाता बने हुए बहुत समय हो गया है और उसके बाद भी ग्राहक के द्वारा लोन की राशि को नहीं चुकाया जाता है और न ही इसकी इच्छा प्रकट की जाती है, साथ ही बैंक भी सभी तरह के प्रयास करने के बाद एनपीए की राशि को वसूलने में सफल नहीं होता है तो फिर बैंक को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की जरूरत होती है. ऐसे में बैंक के द्वारा सभी कागजातों और एनपीए बनने के बाद से सभी तरह के किये गए प्रयासों सहित कोर्ट में जाना होता है और वहां संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध केस करवाना होता है. अब इसके बाद का काम कोर्ट कचहरी में ही चलता है जहाँ उस व्यक्ति की पेशी होती है और आगे की कार्यवाही की जाती है. इसमें कोर्ट बैंक को उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने, आर्थिक दंड लगाने या अन्य कुछ भी कार्यवाही करने का अधिकार दे सकती है.



निष्कर्ष : वर्तमान परिदृश्य बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक बदलाव हेतु प्रेरित करता है ताकि इसके लचीलेपन में सुधार हो और वित्तीय स्थिरता बनी रहे. इस संदर्भ में सरकार ने हाल ही में नए बैंकिंग सुधारों की घोषणा की है, जिसमें बुनियादी ढाँचे के लिये एक विकास वित्त संस्थान की स्थापना, एक बैड बैंक का निर्माण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण आदि शामिल है. वित्तीय मध्यस्थों के रूप में, वाणिज्यिक बैंक काफी हद तक आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अपने ऋण के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं. ऋण विफलताओं में वृद्धि के कारण, हाल के वर्षों में गैर-निष्पादित अग्रिमों की हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई है, जिससे उनकी लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. 2005 से 2019 तक की अवधि के लिए 39 सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों की लाभप्रदता के निर्धारकों का अनुमान लगाकर एनपीए और लाभप्रदता संबंधों की जांच की है. लाभप्रदता के बैंक विशिष्ट और वृहद आर्थिक भविष्यवक्ताओं के एक समूह का उपयोग करते हुए, यह पाया कि एनपीए का भारतीय बैंकों के लाभ की दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. बैंकों को अपनी लाभप्रदता में सुधार के लिए अपने एनपीए और परिचालन लागत को कम करने के लिए उक्त में दिये गए सुझावों के अनुसार चलना चाहिए.



दिनांक 27.03.2024 को राजभाषा विभाग के सहायक निदेशक श्री हरीश सिंह चौहान जी द्वारा भोपाल क्षेत्राधीन गुलमोहर शाखा कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण किया गया. क्षेत्रीय प्रमुख श्री बी आर रामकृष्ण नायक तथा श्री राजीव तिवारी, मुख्य प्रबंधक के मार्गदर्शन में निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.



ठाणे क्षेत्र की अंबरनाथ शाखा को दिनांक 15.03.2024 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आयुध निर्माणी, अंबरनाथ द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु नराकास आयुध निर्माणी के महाप्रबंधक एवं नराकास अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव के कर कमलों से "राजभाषा चल वैजयंती" पुरस्कार प्राप्त हुआ.



पर्यावरण संरक्षण



आकांक्षा सिंह
सहायक प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

पर्यावरण शब्द का अर्थ हमारे चारों ओर के वातावरण से है। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान दे और उसे सँवारे। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखें क्योंकि पर्यावरण और प्राणी एक-दूसरे पर आश्रित हैं। अधिक जनसंख्या, जल संकट, ओजोन परत का नष्ट होना, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण और प्रदूषण तक, ये मानव जाति के लिए गंभीर खतरा हैं।

पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिये प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। साथ ही यह अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु सबसे व्यापक कानूनों में से एक है।

पृष्ठभूमि: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम का अधिनियमन जून, 1972 (स्टॉकहोम सम्मेलन) में स्टॉकहोम में आयोजित 'मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' को देश में प्रभावी बनाने हेतु किया गया। ज्ञातव्य है कि भारत ने 'मानव पर्यावरण में सुधार के लिये उचित कदम उठाने हेतु आयोजित' इस सम्मेलन में भाग लिया था।

संवैधानिक प्रावधान:

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिये कानून बनाने का प्रावधान करता है।

संविधान का अनुच्छेद 48A निर्दिष्ट करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 51A में प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा।

अधिनियम का विस्तार क्षेत्र: यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य सहित पूरे भारत में लागू है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:

केंद्र सरकार की शक्तियाँ: केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से आवश्यक सभी उपाय करने की शक्ति होगी।

इसके अलावा केंद्र सरकार को निम्नलिखित अधिकार हैं:

1. पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिये एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना।
2. पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये विभिन्न पहलुओं पर मानक निर्धारित करना।
3. विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिये मानक निर्धारित करना।
4. उन क्षेत्रों पर कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन प्रतिबंध लगाना, जिनमें किसी उद्योग, उद्योगों के समूह या ऐसी प्रक्रियाओं का संचालन हो रहा है।
5. केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत विभिन्न उद्देश्यों के लिये अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और उन्हें संबंधित शक्तियाँ एवं कार्य सौंप सकती है।

अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित निर्देश देने की शक्ति है:

1. किसी उद्योग के संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, उसका निषेध या विनियमन करने की शक्ति।
2. बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकने या विनियमन करने की शक्ति।

प्रदूषक उत्सर्जन पर प्रतिबंध: किसी भी व्यक्ति या संगठन को निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषक उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं होगी।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अनुपालन: कोई भी व्यक्ति प्रक्रिया का अनुपालन न करते हुए या निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन किये बिना किसी भी खतरनाक पदार्थ को नहीं रखेगा।



प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर (आवश्यक सहायता के साथ) निम्नलिखित कारणों से प्रवेश करने का अधिकार होगा:

1. अधिनियम के अंतर्गत दिये गए किसी भी आदेश, अधिसूचना एवं निर्देशों के अनुपालन के निरीक्षण हेतु.
2. वह किसी भी उपकरण, औद्योगिक संयंत्र, रिकॉर्ड, रजिस्टर, दस्तावेज़ या किसी अन्य भौतिक वस्तु की जाँच (और यदि आवश्यक हो तो ज़ब्त करने के लिये) के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हेतु प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है.

पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना: अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:

पर्यावरण प्रयोगशालाएँ स्थापित करना.

ऐसी प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों को करने के लिये किसी भी प्रयोगशाला या संस्थान को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता देना. केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करने वाले नियम बनाने का भी अधिकार है.

सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति: किसी मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला को हवा, पानी, मिट्टी या अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के लिये केंद्र सरकार एक सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति कर सकती है.

अपराधों के लिये दंड: अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अनुपालन न करना या उल्लंघन करना अपराध माना जाता है.

EPA के तहत किसी भी अपराध का दंड पाँच साल तक की कैद या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है.

कंपनियों द्वारा अपराध: यदि इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो जब तक यह साबित न हो जाए कि अपराधी कौन है; अपराध के समय नियुक्त वह प्रत्येक व्यक्ति, जो कंपनी का सीधा प्रभारी है, दोषी माना जाता है.

सरकारी विभागों द्वारा अपराध: यदि इस अधिनियम के तहत सरकार के किसी विभाग द्वारा कोई अपराध किया गया है, तो विभाग के प्रमुख को अपराध का दोषी माना जाएगा जब तक कि अपराध अन्यथा साबित न हो.

विभाग के प्रमुख के अलावा कोई भी अधिकारी यदि दोषी साबित होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है तथा तदनुसार दंडित किया जा सकता है.

अपराधों का संज्ञान: कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत

किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा बशर्ते शिकायत निम्नलिखित में से किसी के द्वारा न की गई हो:

केंद्र सरकार या उसकी ओर से कोई प्राधिकरण.

एक ऐसा व्यक्ति, जो केंद्र सरकार या उसके प्रतिनिधि प्राधिकरण को 60 दिनों का नोटिस सौंपने के पश्चात् न्यायालय के पास आया हो.

अधिनियम की कमियाँ

अधिनियम का पूर्ण केंद्रीकरण: अधिनियम का एक संभावित दोष इसका केंद्रीकरण हो सकता है. जहाँ व्यापक शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं होती है. ऐसे में केंद्र सरकार इसकी मनमानी एवं दुरुपयोग के लिये उत्तरदायी है.

कोई सार्वजनिक भागीदारी नहीं: अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी के बारे में भी कोई बात नहीं कही गई है, जबकि, मनमानी को रोकने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है.

सभी प्रदूषकों को शामिल न किया जाना: यह अधिनियम प्रदूषण की आधुनिक अवधारणा जैसे शोर, अधिक बोझ वाली परिवहन प्रणाली और विकिरण तरंगों को प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं करता है, जो पर्यावरण प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक हैं.

(राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण) और राष्ट्रीय हरित अधिकरण: इसकी स्थापना राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी.

NEAA की स्थापना उन क्षेत्रों में लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में अपील सुनने के लिये की गई थी, जिनमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन कोई उद्योग या प्रक्रिया का संचालन नहीं किया जाएगा. हालाँकि NEAA (राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण के साथ) को अपर्याप्त पाया गया, जिससे पर्यावरणीय मामलों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निपटाने के लिये एक संस्था की मांग बढ़ गई.

अतः पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना की गई थी.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के साथ NGT छह अन्य कानूनों के तहत दीवानी मामलों को भी सुलझाता है.

ईपीए के तहत जारी महत्वपूर्ण सूचनाएँ

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (1991): यह तटीय हिस्सों से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। दिसंबर 2018 में केंद्रीय कैबिनेट ने तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2018 को मंजूरी दी।

विकास परियोजना अधिसूचना का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन।

पर्यावरण संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है:

1. ओज़ोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर वियना कन्वेंशन के लिये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987
2. खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन पर बेसल कन्वेंशन, 1989
3. रॉटरडैम कन्वेंशन, 1998
4. स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC), 1992

1. जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD), 1992
2. मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCDD), 1994

3. इंटरनेशनल ट्राॅपिकल टिम्बर एग्रीमेंट (1983) और इंटरनेशनल ट्राॅपिकल टिम्बर ऑर्गनाइजेशन (ITTO), 1994: इंटरनेशनल ट्राॅपिकल टिम्बर एग्रीमेंट (ITTA), 1983 द्वारा स्थापित ITTO वर्ष 1985 में स्थापित हुआ और वर्ष 1987 में प्रभाव में आया।

ITTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाने वाली लकड़ियों के उपयोग एवं इससे जुड़े संसाधनों के लिये स्थायी प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा, परामर्श और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

ITTA (वर्ष 1983) में निहित समझौते पर वर्ष 1994 में बातचीत हुई एवं यह 1 जनवरी, 1997 को लागू हुआ।

इस संगठन में 57 सदस्य देश हैं। भारत ने वर्ष 1996 में ITTA की पुष्टि की।



दिनांक 29.01.2024 को सेलम नराकास द्वारा वित्त - वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही बैठक में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु सेलम शाखा को पुरस्कृत किया गया। अध्यक्ष नराकास सेलम के करकमलों से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री - दिवाहर (वरिष्ठ प्रबंधक) एवं राजभाषा अधिकारी श्री पवन कुमार।



दिनांक 30.01.2024 को नराकास (भुवनेश्वर) के तत्वावधान में आयोजित छमाही बैठक में क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।



दिनांक 23.01.2024 को समस्तीपुर नराकास के द्वारा हमारे बैंक को बैंकिंग संवर्ग का द्वितीय पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।



चेन्नई आंचलिक कार्यालय द्वारा सहायक महाप्रबंधक श्री राजीव वार्ष्णेय के मार्गदर्शन एवं अंचल प्रमुख तथा समस्त कार्यपालकों/स्टाफ सदस्यों की उपस्थिति में राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तमिल हिंदी समान शब्दावली राजभाषा सहायिका का विमोचन भी किया गया।



लाभप्रदता में वसूली का महत्व



अमरलता कुमारी
सीएलडी दिल्ली

बैंक एक महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन है जो व्यक्तियों और व्यवसायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्रदान किए जाने के बाद, उन्हें ऋण की वसूली का सामना करना पड़ता है। ऋण की वसूली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि होती है।

एक कहावत है

“At the end of the day, all that matters is profit “

इसलिए हम सभी को लाभ पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि ऐसे कई तरीके हैं जिनका उपयोग लाभ के लिए किया जाता है। मोटे तौर पर हम इसे ब्याज आय और गैर- ब्याज आय में वर्गीकृत कर सकते हैं।

बैंकों का मुख्य काम ऋण देने का है। जो बैंक के लाभ में सबसे ज्यादा प्रतिभागी होता है। इसके अलावा भी हम कई तरह के व्यवसाय विस्तार करने का कार्य करते हैं उनसे भी हमें लाभ होता है। जैसे की इन्शुरन्स के प्रोडक्ट बेचना, सरकारी व्यवसायों की स्कीम को भी ग्राहकों को देना, कुछ सर्विस से जुड़े हुए ग्राहक के काम करना उससे भी हमें आय होती है।

चूँकि ऋण देना एक महत्वपूर्ण काम है और सबसे ज्यादा करने वाला काम है जिससे की हमें ब्याज की कमाई होती है, इसलिए हम इस पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। इसमें हमें कई बातों का ध्यान देना पड़ता है जैसे कि सही तरह के ऋण सही वर्ग के लोगों को दिए जाएं, सही मात्रा में ऋण दिए जाएं, ऋण की मात्रा भी सही हो जिससे ग्राहक संतुष्ट हों और उनका काम भी हो सके, उनको पैसों की कमी भी न हो। इन सब बातों का ध्यान देते हुए हम ऋण देते हैं। अगर हम इन सब बातों का ध्यान न दे तो ऋण लौटाने में कस्टमर असमर्थ हो जाते हैं और बैंक पर इस बात का काफी प्रभाव पड़ता है।

इसलिए ही वसूली बैंक के प्रमुख काम में गिना जाता है। ऋण दे कर वसूली करने पर ही बैंक को लाभ होता है। अगर ग्राहक किसी कारण से अपना ब्याज बैंक को न दे पाए तो बैंक फिर कई तरह के प्रयास करके इसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है।

इसे समझने के लिये हम निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं।

1. ऋण की वसूली का महत्व

जैसा कि हमने ऊपर वर्णन किया कि कैसे ऋण न चुकाने पर कैसे ये हमारे लाभ को प्रभावित करता है। बैंकों के द्वारा दिये गये ऋणों पर ब्याज की राशि प्राप्त होती है, परन्तु जब ऋण नॉन परफॉर्मिंग होता है, उसकी प्रोविजनिंग में काफी राशि लग जाती है। और जिस ऋण में वसूली नहीं हुई है उसके ब्याज को भी बैंक अपने लाभ में नहीं दिखा पाते। इसलिये बैंक की आय में वसूली का महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है।

अगर हम वसूली की बात करें तो हर तरह के ऋण में तरह तरह के तरीकों से ब्याज भरना पड़ता है, जैसे कि अगर बैंक टर्म लोन दे तो ग्राहक को तो ब्याज और मूल दोनों का कुछ पहले से स्थायी हिस्सा हर महीने बैंक के ऋण खातों में जमा करना पड़ता है अगर ग्राहक इसमें असमर्थ होता है तो उसका खाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है। ये एक तरह की लेखांकन प्रक्रिया है जिसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि जब तक किसी ऋण खाते से सुनिश्चित राशि सही समय से खाते में न जमा की जाये तब तक उस खाते को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में रखा जाता है और जो राशि खाते में न आयी हो उसे हम अपनी आमदनी में नहीं मान सकते। इसलिए सही समय से वसूली होना और खातों का परफॉर्मिंग एसेट या स्टैण्डर्ड एसेट में रहना जरूरी है।

इसी प्रकार से नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट भी ऋण के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के खातों में ग्राहक को ब्याज की राशि खाते में जमा करनी पड़ती है। बैंक ऋण देते समय ये सारी जानकारी ग्राहक को बताते हैं और समय समय पर ग्राहक को इस बारे में अवगत करते हैं। ये सबसे प्रथम प्रक्रिया होती है जिससे वसूली की जाती है।

2. ऋण की वसूली के तरीके

वसूली के कई तरीके होते हैं जिससे बैंक सुनिश्चित तरीके से वसूली करती है वसूली की सामान्य प्रक्रिया के अलावा भी बैंक के पास कई तरह के कानूनी टूल्स होते हैं जिससे वसूली की जाती है। बैंक ऋण देते समय सही कागजी प्रलेखन भी करता है और जरूरी दस्तावेज भी लेता है जिससे की अगर ग्राहक बाद में बैंक का ऋण देने से मना करे या असमर्थ हो जाएँ तो बैंक किस किस तरह से

अपने ऋण की वसूली कर पाए.

इसमें से सबसे पहला पोस्ट डेटेड चेक होता है जो सबसे पहले बैंक उपयोग करता है और चेक का भुगतान न होने पर क़ानूनी कार्यवाही भी की जाती है. उसके साथ साथ बैंक फिर ये भी देखता है कि बैंक के ऋण से कौन से एसेट ख़रीदे गए हैं. वो एसेट ऋण न चुकाने तक क़ानूनी तौर पर बैंक के संरक्षण में होते हैं. बैंक उन एसेट की मदद से भी ऋण की वसूली का प्रयास करती है.

3. बैंकों में ऋण की वसूली के लाभ

अगर समय से वसूली हो जाती है तो बैंक सही तरीके से लाभ कमा सकते हैं और उस लाभ का उपयोग बैंक के विस्तार में किया जाता है .

4. बैंकों में ऋण वसूली की चुनौतियाँ

ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से बैंक सारे खातों में वसूली कर पाता है कई बार बैंक को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है. कई बार ग्राहक आसानी से ऋण की किस्त बैंक को नहीं देता है. तब बैंक उपरोक्त वर्णित तरीकों से वसूली करती है.

5. ऋण की वसूली के नए दृष्टिकोण

हमें चाहियें की बैंक मे वसूली को नकारात्मक दृष्टि से न देखते हुए इसे हमारे लाभ का मुख्य स्रोत समझते हुए अपनाना चाहिये. जिससे हम लाभ अर्जित कर सकें. दैनिक दिनचर्या मे वसूली को सम्मिलित करने से इसका बहुत ज्यादा दबाव भी बैंक के स्टॉफ पर नहीं पड़ेगा और और समय से वसूली भी हो जाएगी.

6. अन्य ऋण की वसूली के तरीके

सही समय पर वसूली के कई तरीकों में से सबसे पहले हमे चाहिए की हम ग्राहक को समय से पहले ऋण की किस्त चुकाने के लिए याद दिलाये जिससे की खाते नॉन परफार्मिंग एसेट में जाये ही न. और अगर खाते नॉन परफार्मिंग एसेट में चले भी जाते हैं तो हमे ग्राहक को समय से पूरी जानकारी देनी चाहिए कि कितनी राशि जमा करने पर खता नियमित और अगर खाते में राशि न जमा की जाये तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं. इससे ग्राहक भविष्य में इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए यथासंभव प्रयास करेगा की उसका खता रेगुलर रहे और बैंक को वसूली के लिए कोई क़ानूनी कार्यवाही न करनी पड़े.

7. भविष्य की दिशा

भविष्य में भी वसूली बैंक का एक अभिन्न अंग ही होगा, क्योंकि ऋण भी बैंक का अभिन्न अंग है. इसे दैनिक कार्यों में सम्मिलित करने से बैंक का लाभ हमेशा बढ़ेगा.

अखण्डता और आर्थिक स्थिरता बैंकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. ऋण की वसूली उन्हें अपने ऋणों को समय पर वापस प्राप्त करने में मदद करती है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है. यह उन्हें उच्चाधिकारी दर्जे और अधिक ऋण की अनुमति प्रदान करती है, जो उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाता है. इसलिए, बैंकों में ऋण की वसूली से लाभप्रदता को समझना और संरक्षित करना आवश्यक है.



दिनांक 21.02.2024 को आयोजित नराकास की छमाही बैठक में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए बैंक श्रेणी में क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक को द्वितीय पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ.



पिता जी



नटवर कुमार झा

मुख्य प्रबंधक

तिरुपुर शाखा, कोयम्बतूर क्षेत्र

रात तकरीबन 9 बजे दफ्तर से लौटने के क्रम में सुभाष बाबू की चमचमाती मर्सिडीज कार जैसे ही उनके घर के मुख्य फाटक में घुसी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा...“साहब, एक महिला आपके लिए लिखी गई किसी व्यक्ति की एक चिट्ठी लेकर न जाने कब से यहाँ भटक रही हैं और बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रही हैं. मेरे मना करने के बाद भी यहाँ से भाग नहीं रही है, उसके साथ एक बच्चा भी है.”

सुभाष जी ने गार्ड की बातों को सुन बेहद अचरज से उस महिला को अपने नजदीक बुलाया और उससे जानना चाहा... “आप कहाँ से आई हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं, किसने मुझे ये चिट्ठी लिखी है”?

कपकपाती हाथों से महिला ने बिना कुछ ज्यादा बोले सुभाष जी को एक चिट्ठी पकड़ाई और फिर मद्धिम आवाज से सिसकते हुए बोली... “साहब मैं अभागन बड़ी भयानक मुसीबत में हूँ, तत्काल आपकी मदद चाहिए, आपके पिताजी ने मुझे ये चिट्ठी देकर आपके पास भेजा है. मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है. इसे किसी भी तरह किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए. आपका जीवन भर उपकार रहेगा. गांव में इसके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मजबूरी में मैं आपके पास आई हूँ.”

चिट्ठी देते हुए महिला सुभाष के सामने अपना दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई.

सुभाष ने उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और कुछ पल के बाद बेहद गंभीर व शांत हो गए. उसके बाद वे कभी मैली कुचैली साड़ी पहनी उस महिला की तरफ अपनी आँखें फेरते तो कभी उस चिट्ठी की तरफ. कुछ देर तक बेहद गहरी चिंता में सुभाष गोताखोरी करते रहे.

दरअसल उस चिट्ठी के साथ - साथ वो महिला अपने गंभीर रूप से बीमार बच्चे को लेकर उनके पास इलाज हेतु मदद के लिए अपने गांव से शहर पहुँची थी.

“आप कब से मेरा इंतजार कर रही हैं, क्या आपने कुछ खाया है” सुभाष ने महिला से जानना चाहा.

इसके उत्तर में महिला कुछ बोल न सकी, बस उनको लगातार एक टक देखती रही.

सुभाष ने उसी क्षण अपने सुरक्षाकर्मी को बोल उस महिला और उसके बीमार बच्चे के लिए अपने आउट गेस्ट रूम में रहने का इंतजाम करवाया और फिर वहीं कुछ देर बाद दोनों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया.

उन दोनों के भोजन करते करते सुभाष फिर मोबाइल फोन से किसी से कुछ बात करते हुए उनके सामने उपस्थित हो गए.

महिला ने पुनः उनसे फरियाद करते हुए कहा .. “साहब, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए और मेरे इकलौते बीमार बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है.

महिला बोलते बोलते उनके पैरों पर गिर पड़ी.

“अरे माताजी ऐसा मत कीजिए, आप मेरी मां समान हैं, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा” सुभाष ने उसकी हिम्मत बढ़ाई.

इतने में रात के बेहद खामोश सन्नाटे को चीरती हुई हॉर्न बजती एक दूसरी गाड़ी तेजी से घर के अंदर घुसी और कुछ पल बाद एक डॉक्टर वहाँ उपस्थित हुए.

“आइए डॉक्टर साहब, ये बच्चा बीमार है, इसको जरा बेहद गंभीरता से पड़ताल कर इसका इलाज कीजिए ” सुभाष ने कहा.

डॉक्टर बाबू ने बिना अपना वक्त गवाएं तकरीबन बीस मिनट तक उस बच्चे का गहन निरीक्षण किया और फिर कुछ जाँच करने के साथ - साथ कुछ दवाईयों की पर्ची भी वहाँ खड़े सुभाष के हाथों में पकड़ा दी.

“ये कुछ दवाइयां और इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से तत्काल मंगा लीजिए, अभी देने हैं और मैं अपने साथ जांच के लिए इस बच्चे का रक्त नमूना लेकर जा रहा हूँ, इनके रिपोर्ट लेकर कल फिर आऊँगा” डॉक्टर ने सुभाष से कहा और फिर वहाँ से निकल गए.

सुभाष ने डॉक्टर की पर्ची और कुछ पैसे अपने ड्राइवर को पकड़ाते हुए उसे तुरंत सारी दवाइयां लाने का निर्देश दिया और फिर खुद

अपने घर के अंदर जाने के लिए वहाँ से बरामदे की ओर मुड़े.

“साहब बस आप मेरे बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते, मैं गरीब कहाँ से दे पाऊंगी इलाज के इतने पैसे, मेरे पास तो रहने खाने के भी पैसे नहीं हैं” महिला गिड़गिड़ाई.

“माता जी, बस आप निश्चित रहें और जाकर आराम करें, रात बहुत हो चुकी है” इतना कहकर सुभाष वहाँ से निकल अपने घर के अंदर प्रवेश कर गए.

सुबह डॉक्टर बाबू बच्चे के तमाम रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर हुए और उसे एक दो इंजेक्शन तथा कुछ दवाइयां दी.

अपने दफ्तर जाने से ठीक पहले सुभाष ने भी बीमार बच्चे के साथ - साथ उस महिला का अच्छी तरह से हाल चाल लिया और सबको उन दोनों का बेहतर ख्याल रखने के लिए निर्देशित कर वहाँ से निकल गए. सुभाष एक निजी दूरसंचार कंपनी में बड़े ओहदे पर कार्यरत थे.

डॉक्टर बाबू अब नियमित रूप से आकर उस बीमार बच्चे की जाँच करते और साथ ही बेहतर ढंग से उसका इलाज भी.

सुभाष भी सुबह शाम जब भी उनको समय मिलता उन दोनों की खोज खबर ले लेते.

महिला जब भी उनको देखती रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, हलांकि सुभाष उसको बार - बार और लगातार ये न करने के लिए कहते रहते.

दिन बीतने के साथ - साथ बच्चे का नियमित रूप से बेहतर इलाज होता रहा, साथ ही रहने खाने का भी भरपूर ख्याल रखा जाता.

तबरीबन एक महीने के बाद जब बच्चा पूरी तरह से तंदरुस्त हो गया तो महिला सुभाष के सामने जाकर बोली, “साहब, मेरा बच्चा बिलकुल ठीक हो चुका है, हम अब वापस अपने गाँव जाना चाहते हैं. आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं जीवन भर आपका और

आपके पिता कृष्णाकांत जी का एहसानमंद रहूंगी.”

जब वो महिला अपने बच्चे के साथ वहाँ से विदा होने लगी तो सुभाष ने कुछ रुपयों के साथ दोनों को नए कपड़े और दो जोड़ी नए चप्पल उपहार स्वरूप दी और साथ ही उसे एक चिट्ठी भी देते हुए कहा कि “इसे उन्हें ही दे दीजिएगा जिन्होंने आपको यहां भेजा था.”

महिला हाथ जोड़कर कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए उन्हे लगातार अनगिनत दुआएँ देती वहाँ से बढ़ चली.

ठीक दूसरे ही दिन अपने गाँव पहुँच कृष्णाकांत जी को वह चिट्ठी देते हुए महिला उनसे सुभाष की बहुत तारीफ करने लगी... “बाबा, आपका बेटा तो देवता है देवता, कितना ख्याल रखा हमारा... ऐसा बेटा किस्मत वाले को नसीब होता है, ऊपरवाला उन्हें और उनके समूचे परिवार को हमेशा सलामत रखे.”

कृष्णाकांत जी उस चिट्ठी को पढ़कर दंग रह गए... उसमें लिखा था, “परम आदरणीय बाबू जी, मैं आपको नहीं जानता और न ही कभी आपसे मिला हूँ लेकिन आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता... कुछ महीने पहले ही उसने ये मकान बेच दिया है. अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ, पर मुझे भी आप अपना बेटा ही समझिए. बचपन से मैं अपने पिता से महरूम रहा हूँ, लेकिन मैंने जब आपका पत्र पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सगे बाप ने मुझे कुछ करने का आदेश दिया है. आप कृपया इनसे कुछ मत कहिएगा. आपकी वजह से मुझे इस माता के द्वारा जितना आशिर्वाद और दुआएँ मिलीं हैं, उस उपकार के लिए मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूँगा... आपका अपना सुभाष शर्मा.”

कुछ बेहद खामोश लम्हों के बाद कृष्णाकांत जी का सिर कुछ सोचकर खुद ब खुद उस अनजान पवित्र आत्मा के सम्मान में झुक गया... और उनकी आंखे तो नम थी ही!!



श्री सुनील तिवारी, वरिष्ठ प्रबंधक, मुंबई महानगर आंचलिक कार्यालय, के मेधावी सुपुत्र आदित्य ने नीट (NEET) परीक्षा में 700 में से 642 अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की. हम आदित्य एवं उनके परिवार को बधाई देते हैं.



वसूली



राकेश कुमार सिंह
क्षेत्रीय प्रमुख
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर

जब पैसे उधार देने की बात आती है, तो डिफॉल्ट का जोखिम हमेशा मौजूद रहता है। यही कारण है कि ऋण वसूली ऋण देने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऋण वसूली से तात्पर्य उन उधारकर्ताओं से ऋण राशि की वसूली की प्रक्रिया से है जो अपने भुगतान में चूक कर चुके हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो वित्तीय संस्थानों को उनके समस्या ऋण अनुपात को कम करने और उनकी संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। इस लेख में, हम ऋण वसूली की मूल बातों पर चर्चा करेंगे।

ऋण वसूली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उन उधारकर्ताओं से ऋणों की वसूली शामिल है जो अपने भुगतान में चूक कर चुके हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न चरण शामिल हैं जैसे अनुस्मारक भेजना, कानूनी नोटिस जारी करना और यहां तक कि उधारकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। ऋण वसूली का प्राथमिक उद्देश्य उधारकर्ता से बकाया ऋण राशि और ब्याज की वसूली करना है।

वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण वसूली महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें अपने ऋण अनुपात को कम करने में मदद मिलती है। ऋण अनुपात उन ऋणों का प्रतिशत है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और डिफॉल्ट के जोखिम में हैं। एक उच्च ऋण अनुपात किसी वित्तीय संस्थान के वित्तीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ऋण वसूली से ऋण अनुपात को कम करने और संस्थान की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है।

ऋण वसूली कई तरीकों से की जा सकती है। एक सामान्य तरीका उधारकर्ता को अनुस्मारक भेजना है। ये अनुस्मारक फोन कॉल, ईमेल या पत्र के रूप में हो सकते हैं। यदि उधारकर्ता फिर भी भुगतान नहीं करता है, तो वित्तीय संस्थान कानूनी नोटिस जारी कर सकता है। कानूनी नोटिस उधारकर्ता के लिए एक चेतावनी हो सकता है कि यदि उन्होंने भुगतान नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि उधारकर्ता फिर भी भुगतान नहीं करता है, तो वित्तीय संस्थान उधारकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

ऋण वसूली के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। एक विकल्प उधारकर्ता के साथ ऋण राशि का निपटान करना है। यह एक ऐसी भुगतान योजना पर बातचीत करके किया जा सकता है जो उधारकर्ता के लिए संभव हो। एक अन्य विकल्प डिफॉल्ट किए गए ऋण को ऋण संग्रहकर्ता को बेचना है। ऋण संग्राहक को ऋण बेचने से वित्तीय संस्थान को बकाया ऋण राशि का कुछ

हिस्सा वसूलने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह विकल्प उधारकर्ता के क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उधारकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन यह विकल्प समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। कानूनी कार्रवाई केवल अंतिम उपाय के रूप में की जानी चाहिए। वित्तीय संस्थानों को कोई भी कार्रवाई करने से पहले सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए।

समस्याग्रस्त ऋण के कारणों को समझना

उधार देने और उधार लेने की प्रक्रिया आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है। व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए संपत्ति बनाने और आय उत्पन्न करने के लिए ऋण आवश्यक हैं। हालांकि, ऋण भी समस्याग्रस्त हो सकता है जब उधारकर्ता उन्हें चुकाने में असमर्थ होते हैं। समस्याग्रस्त ऋण ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। समस्याग्रस्त ऋणों के कारणों को समझना उनकी घटना को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ हम समस्याग्रस्त ऋणों के प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे और उन्हें कैसे पहचाना और उनका निदान किया जा सकता है।

1. आर्थिक कारक: मुद्रास्फीति, मंदी और ब्याज दरों में बदलाव जैसे आर्थिक कारक उधारकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो उधारकर्ताओं को अपना मासिक भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे चूक हो सकती है। इसी तरह, मंदी के दौरान, व्यवसायों को राजस्व में गिरावट का अनुभव हो सकता है, जिससे उनके ऋण चुकाना मुश्किल हो जाएगा। आर्थिक कारकों के प्रभाव को कम करने के लिए, उधारदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन और तनाव परीक्षण करना चाहिए कि उधारकर्ता आर्थिक झटके झेल सकें।

2. खराब क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन: ऋणदाता उन उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत कर सकते हैं जो उनके क्रेडिट मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, जिससे चूक हो सकती है। अपर्याप्त दस्तावेजीकरण, अपूर्ण वित्तीय विवरण, या उधारकर्ता के वित्तीय स्वास्थ्य के अपर्याप्त विश्लेषण के कारण खराब क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन हो सकता है। खराब क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन को रोकने के लिए, उधारदाताओं को मजबूत मानक स्थापित करने

चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ऋण आवेदनों की पूरी तरह से जांच की जाए।

3. धन का कुप्रबंधन: उधारकर्ता ऋण निधि का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे चूक हो सकती है। खराब वित्तीय प्रबंधन कौशल, जवाबदेही की कमी या धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के कारण धन का कुप्रबंधन हो सकता है। धन के कुप्रबंधन को रोकने के लिए, उधारदाताओं को सख्त ऋण निगरानी प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए और उधारकर्ताओं को नियमित वित्तीय रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता होनी चाहिए।

4. बाहरी कारक: कानूनी और नियामक परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और राजनीतिक अस्थिरता जैसे बाहरी कारक उधारकर्ताओं की ऋण चुकाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नियमों में बदलाव से व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत बढ़ सकती है, जिससे उनके लिए अपने ऋण चुकाना मुश्किल हो जाएगा। बाहरी कारकों के प्रभाव को कम करने के लिए, ऋणदाताओं को नियमित जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए और बाहरी घटनाओं की निगरानी करनी चाहिए जो उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।

5. संपार्श्विक की कमी: जो ऋण संपार्श्विक द्वारा सुरक्षित नहीं हैं, वे सुरक्षित ऋणों की तुलना में जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। संपार्श्विक के अभाव में, ऋणदाताओं के पास डिफॉल्ट की स्थिति में सीमित सहारा हो सकता है। असुरक्षित ऋणों के जोखिम को कम करने के लिए, उधारदाताओं को सख्त मानक स्थापित करने चाहिए और उधारकर्ताओं को ऋण सुरक्षित करने के लिए संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता होनी चाहिए।

समस्याग्रस्त ऋणों के कारणों को समझना उनकी घटना को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऋणदाताओं को पूरी तरह से क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए, मजबूत अंडरराइटिंग मानक स्थापित करना चाहिए और बाहरी घटनाओं की निगरानी करनी चाहिए जो उधारकर्ता की ऋण चुकाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। ये कदम उठाकर ऋणदाता समस्याग्रस्त ऋण के जोखिम को कम कर सकते हैं और वित्तीय स्थिरता बनाए रख सकते हैं।

ऋण वसूली का महत्व

वित्तीय संस्थानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक गैर-निष्पादित ऋण की समस्या है। ये ऋण न केवल संस्थान की लाभप्रदता को प्रभावित करते हैं बल्कि इसकी प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए, समस्या ऋण अनुपात को कम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाना आवश्यक है। ऐसा ही एक उपाय है ऋण वसूली। ऋण वसूली अतिदेय ऋणों को एकत्र करने की प्रक्रिया है, जो गैर-निष्पादित या खराब ऋण बन गए हैं। यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उनके समस्या ऋण अनुपात

को कम करने और एक स्वस्थ ऋण पोर्टफोलियो बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

ऋण वसूली की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब उधारकर्ता अपने भुगतान में चूक करते हैं। इससे गैर-निष्पादित ऋणों में वृद्धि होती है, जिसका संस्थानों के वित्तीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समस्या ऋण अनुपात को कम करने के लिए अतिदेय ऋणों की वसूली करना आवश्यक है। ऋण वसूली यह सुनिश्चित करती है कि संस्थान बकाया राशि की वसूली कर सके और अपने समस्या ऋण अनुपात को कम कर सके।

ऋण वसूली की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। पहला कदम अतिदेय ऋणों की पहचान करना और उधारकर्ताओं से संपर्क करना है। संस्था उधारकर्ताओं को अनुस्मारक, नोटिस और चेतावनी भेज सकती है। यदि उधारकर्ता जवाब नहीं देता है, तो संस्था बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। संस्था गैर-निष्पादित ऋणों को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों या अन्य वित्तीय संस्थानों को भी बेच सकती है।

प्रौद्योगिकी ने ऋण वसूली प्रक्रिया में क्रांति ला दी है। वित्तीय संस्थान ऋण वसूली प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें उधारकर्ताओं को स्वचालित अनुस्मारक, नोटिस और चेतावनियाँ भेजना शामिल है। वित्तीय संस्थान उन उधारकर्ताओं की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं जिनके भुगतान में चूक होने की संभावना है। इससे संस्था को अतिदेय ऋणों की वसूली के लिए सक्रिय कदम उठाने में मदद मिलती है।

ग्राहक सहभागिता ऋण वसूली का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों के साथ जुड़कर उनकी वित्तीय स्थिति को समझ सकते हैं और उन्हें उनके ऋण चुकाने के लिए समाधान प्रदान कर सकते हैं। इसमें ऋण का पुनर्गठन, छूट अवधि प्रदान करना या ऋण निपटान की पेशकश शामिल हो सकती है। ऋण वसूली के लिए सर्वोत्तम विकल्प स्थिति पर निर्भर करता है। वित्तीय संस्थान अतिदेय ऋणों की वसूली के लिए उपायों का संयोजन अपना सकते हैं। इसमें अनुस्मारक और चेतावनियाँ भेजना, कानूनी कार्रवाई शुरू करना, गैर-निष्पादित ऋणों को बेचना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और ग्राहकों से जुड़ना शामिल हो सकता है। संस्था को वह विकल्प चुनना चाहिए जो अतिदेय ऋणों की वसूली और समस्या ऋण अनुपात को कम करने में सबसे प्रभावी हो।

एक ऋणदाता के रूप में, ऋण चूक के मामलों का अनुभव होना आम बात है। ऋण वसूली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे ऋणदाताओं को ऋण अनुपात को कम करने के लिए अपनाना चाहिए। ऋण वसूली प्रक्रिया में विभिन्न तकनीकें और रणनीतियाँ शामिल हैं जो ऋणदाताओं को प्रभावी ढंग से ऋण वसूलने में मदद कर सकती हैं।



ऋण वसूली के लिए सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक शीघ्र हस्तक्षेप है। ऋणदाताओं को संभावित ऋण चूकों की शीघ्र पहचान करनी चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए। प्रारंभिक हस्तक्षेप से उधारदाताओं को उधारकर्ताओं के साथ काम करके एक पुनर्भुगतान योजना विकसित करने की अनुमति मिलती है जो उनकी वित्तीय स्थिति के अनुरूप होती है। ऋणदाताओं को नियमित रूप से उधारकर्ताओं के साथ संवाद करना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए कि वे अपना ऋण चुका सकें।

ऋण वसूली के लिए बातचीत और पुनर्गठन आवश्यक रणनीतियाँ हैं। जब उधारकर्ताओं को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऋणदाताओं को ऋण को और अधिक किराया बचाने के लिए बातचीत करने और ऋण का पुनर्गठन करने की आवश्यकता हो सकती है। ऋणदाताओं को बातचीत के लिए खुला होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए ऋण का पुनर्गठन करना चाहिए कि उधारकर्ता इसे चुका सके। पुनर्गठन में ऋण अवधि बढ़ाना, ब्याज दर कम करना या ऋण राशि बढ़ाना शामिल हो सकता है।

जब अन्य सभी तरीके विफल हो जाते हैं, तो ऋण की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई आवश्यक हो सकती है। ऋणदाताओं को ऋण की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, और इसमें उधारकर्ता के खिलाफ मुकदमा दायर करना शामिल हो सकता है। कानूनी कार्रवाई अंतिम उपाय होनी चाहिए, और ऋणदाताओं को इस रणनीति को आगे बढ़ाने से पहले इसमें शामिल लागत और समय पर विचार करना चाहिए।

ऋण वसूली एजेंसियाँ ऋण वसूली के लिए एक प्रभावी रणनीति हो सकती हैं। ऋणदाता अपनी ओर से ऋण की वसूली के लिए ऋण वसूली एजेंसियों को नियुक्त कर सकते हैं। ऋण संग्रहण एजेंसियों के पास प्रभावी ढंग से ऋण वसूल करने की विशेषज्ञता और संसाधन हैं। हालाँकि, उधारदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस ऋण वसूली एजेंसी से वे जुड़े हैं वह प्रतिष्ठित है और नैतिक प्रथाओं का पालन करती है।

जब ऋण वसूली की बात आती है, तो ऋणदाताओं की यह सुनिश्चित करने की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वे अपने धन की वसूली के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करें। जबकि ऋणदाताओं के लिए अपने घाटे को कम करने और अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने ऋण की वसूली करना महत्वपूर्ण है, उन्हें अपने कार्यों के कानूनी और नैतिक निहितार्थों पर भी विचार करना चाहिए। ऋण वसूली में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी विचारों में से एक उचित ऋण संग्रहण प्रथा अधिनियम (एफडीसीपीए) का अनुपालन है। यह संघीय कानून ऋण संग्रहकर्ताओं को ऋण एकत्र करने का प्रयास करते समय अपमानजनक, भ्रामक या अनुचित प्रथाओं में शामिल होने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि ऋणदाताओं को अपने उधारकर्ताओं के साथ पारदर्शी और ईमानदार होना चाहिए, और

उन्हें उत्पीड़न, गलत बयानी या कानूनी कार्रवाई की धमकी जैसी प्रथाओं में शामिल नहीं होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ऋणदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऋण वसूली के संबंध में राज्य कानूनों का अनुपालन करें। ऋणों की वसूली को नियंत्रित करने वाले प्रत्येक राज्य के अपने कानून और नियम हैं, और कानूनी नतीजों से बचने के लिए उधारदाताओं को इन कानूनों के बारे में पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ राज्य वेतन गार्निशमेंट पर रोक लगाते हैं, जबकि अन्य उस राशि को सीमित करते हैं जिसे गार्निश किया जा सकता है।

कानूनी विचारों के अलावा, ऋणदाताओं को अपनी ऋण वसूली प्रथाओं के नैतिक निहितार्थों पर भी विचार करना चाहिए। इसका मतलब है उधारकर्ताओं के साथ सम्मान और सहानुभूति से व्यवहार करना और उन प्रथाओं से बचना जिन्हें शोषणकारी या अनुचित माना जा सकता है।

ऋणदाताओं को अपने ऋण की वसूली करने का अधिकार है, उन्हें ऐसा सम्मानजनक और निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। इसका मतलब है कानूनी कार्रवाई की धमकी देने या उधारकर्ताओं को परेशान करने जैसी प्रथाओं से बचना, और इसके बजाय उधारकर्ताओं के साथ मिलकर एक समाधान ढूँढना है जो दोनों पक्षों के लिए काम करता है।

ऋण वसूली ऋणदाताओं के लिए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे इस तरह से किया जाना चाहिए जो कानूनी और नैतिक दोनों हो। सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके और उधारकर्ताओं की जरूरतों पर विचार करके, ऋणदाता अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि वे इसमें शामिल सभी पक्षों के सर्वोत्तम हित में कार्य कर रहे हैं, अपने ऋण की वसूली कर सकते हैं।

जब ऋण वसूली और समस्याग्रस्त ऋण कटौती की बात आती है तो ऋण माफ़ करना ऋणदाताओं के लिए अंतिम उपाय होता है। किसी ऋण को बटु खाने में डालने का मतलब है कि ऋणदाता ने ऋण की वसूली करना छोड़ दिया है। हालाँकि यह ऋणदाता के लिए नुकसान जैसा लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह फायदेमंद हो सकता है। ऋण माफ़ करने से संसाधन मुक्त हो जाते हैं जिनका उपयोग अधिक लाभदायक ऋण अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

ऋण वसूली का भविष्य प्रौद्योगिकी, प्रभावी संचार, ऋण पुनर्गठन, ऋण वसूली एजेंसियों और ऋण राइट-ऑफ को अपनाने में निहित है। ये रणनीतियाँ ऋणों की वसूली और समस्या ऋण अनुपात को कम करने में प्रभावी साबित हुई हैं। जबकि प्रत्येक रणनीति के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, उधारदाताओं को अपने विकल्पों का मूल्यांकन करने और अपनी विशिष्ट स्थिति के लिए सबसे प्रभावी रणनीति चुनने की आवश्यकता होती है।

खेल दिवस, विभिन्न क्षेत्र



उत्तर, मुंबई



कोयमटूर



गया



थाणे



देहरादून



पणजी



बरपेटा रोड



मदुरै



मेरठ



रोहतक



वाराणस



हवली

दिनांक 04 एवं 5 मार्च 2024 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा भोपाल अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में 14वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन की झलकियां



दिनांक 04 एवं 5 मार्च 2024 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई द्वारा भोपाल अधिकाारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में 14वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया सम्मेलन की झलकियां





राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	“क” क्षेत्र	“ख” क्षेत्र	“ग” क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. ‘क’ क्षेत्र से ‘क’ क्षेत्र को 100% 2. ‘क’ क्षेत्र से ‘ख’ क्षेत्र को 100% 3. ‘क’ क्षेत्र से ‘ग’ क्षेत्र को 65% 4. ‘क’ क्षेत्र से ‘क’ व ‘ख’ क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 100%	1. ‘ख’ क्षेत्र से ‘क’ क्षेत्र को 90% 2. ‘ख’ क्षेत्र से ‘ख’ क्षेत्र को 90% 3. ‘ख’ क्षेत्र से ‘ग’ क्षेत्र को 55% 4. ‘ख’ क्षेत्र से ‘क’ व ‘ख’ क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 90%	1. ‘ग’ क्षेत्र से ‘क’ क्षेत्र को 55% 2. ‘ग’ क्षेत्र से ‘ख’ क्षेत्र को 55% 3. ‘ग’ क्षेत्र से ‘ग’ क्षेत्र को 55% 4. ‘ग’ क्षेत्र से ‘क’ व ‘ख’ क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों	40%	30%	20%
		(न्यूनतम अनुभाग) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, “क” क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, “ख” क्षेत्र में 25% और “ग” क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए		



भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India



जैसे आपका हर रुपया मायने रखता है,
वैसे ही हर वोट मायने रखता है

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में गर्व के साथ मतदान करें।

#IVoteForSure

ऑनलाइन पंजीकरण करें या अपना विवरण
voters.eci.gov.in पर सत्यापित करें

स्वीन करें और मतदाता प्रतिज्ञा लें

इस QR को स्कैन करके दुनिया के सबसे बड़े
लोकतंत्र में अपनी प्रतिज्ञा को अहम बनाएं और
#IVoteForSure की मदद से अपने सोशल
मीडिया हैंडल पर शेयर करें।



fb.com/ECI @ecisveep youtube.com/eci @ecisveep Election Commission of India